कानपुर नगर निगम

दिनांक 28.12.2019 दिन शनिवार को आहूत स्थगित सदन की बैठक का कार्यवृत्त एवं पुनः दिनांक 08.01.2020 दिन बुद्धवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार में सम्पन्न हुई, बैठकों का कार्यवृत्त

स्थानः नगर निगम सभागार, मोतीझील, कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम
नगर निगम,कानपुर

पत्र संख्या :–डी/482/सचिव (न0नि0)/2019–20 दिनांक :– 07-02-2020

सेवा में,

मा0 श्री/श्रीमती.....

पार्षद वार्ड सं0...../पदेन सदस्य.....

महोदय/महोदया,

नगर निगम सदन की दिनांक 28.12.2019 दिन शनिवार को आहूत बैठक जो स्थगित की गयी थी की कार्यवृत्ति तथा दिनांक 28.12.2019 दिन शनिवार को स्थगित सदन की बैठक, जो दिनांक–08.01.2020 दिन बुद्धवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार में सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त, आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 26 तक व
कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 42 तक।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपि :–

1.नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2.अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) महोदय को सूचनार्थ।
3.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

नगर निगम मुख्यालय स्थित सदन सभागार में दिनांक– 28.12.2019 दिन शनिवार की स्थगित बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर / अध्यक्ष	
2.	श्री रमेश चन्द्र	पार्षद / सदस्य	
3.	श्री शरद कुमार सोनकर	पार्षद / सदस्य	
4.	कु0 लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य	
5.	श्रीमती रीता पासवान	पार्षद / सदस्य	
6.	श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद / सदस्य	
7.	श्रीमती आरती गौतम	पार्षद / सदस्य	
8.	श्री अवनीश खन्ना	पार्षद / सदस्य	
9.	श्री अजीत	पार्षद / सदस्य	
10.	श्री मदन बाबू	पार्षद / सदस्य	
11.	श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद / सदस्य	
12.	श्री सौरभ देव	पार्षद / सदस्य	
13.	श्री राकेश कुमार	पार्षद / सदस्य	
14.	श्रीमती रचना त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य	
15.	श्री प्रदीप मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
16.	श्रीमती राधा देवी	पार्षद / सदस्य	
17.	श्रीमती मधु मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
18.	श्रीमती शीला पाण्डेय	पार्षद / सदस्य	
19.	श्री संजय यादव	पार्षद / सदस्य	
20.	श्री गोपाल गुप्ता	पार्षद / सदस्य	
21.	श्रीमती कविता सिंह	पार्षद / सदस्य	
22.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य	
23.	श्रीमती निर्मला मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
24.	श्रीमती मोहिनी शुक्ला	पार्षद / सदस्य	
25.	श्री शरद प्रकाश मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
26.	श्रीमती ऊषा मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
27.	श्रीमती रीता कुशवाहा	पार्षद / सदस्य	
28.	श्री रमेश बाजपेई	पार्षद / सदस्य	
29.	श्री घनश्याम गुप्ता	पार्षद / सदस्य	
30.	कु0 विधि राजपाल	पार्षद / सदस्य	
31.	श्रीमती अंजू मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
32.	श्री अशोक पाल	पार्षद / सदस्य	
33.	श्रीमती नमिता मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
34.	श्री मनोज कुमार राठौर	पार्षद / सदस्य	
35.	श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	पार्षद / सदस्य	
36.	श्री राज कुमार राजपूत	पार्षद / सदस्य	
37.	कु0 कीर्ति अग्निहोत्री	पार्षद / सदस्य	
38.	श्रीमती नेहा यादव	पार्षद / सदस्य	
39.	श्री विजय कुमार	पार्षद / सदस्य	
40.	श्री दिनेश तिवारी	पार्षद / सदस्य	
41.	श्रीमती प्रभा सिंह चौहान	पार्षद / सदस्य	
42.	श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद / सदस्य	

43. श्री सुशील अवस्थी 'गुड्डू'	पार्षद / सदस्य
44. श्रीमती नीतू मिश्रा	पार्षद / सदस्य
45. श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
46. श्री सुमित कुमार पाल	पार्षद / सदस्य
47. श्री विजय यादव	पार्षद / सदस्य
48. श्री अनिल वर्मा	पार्षद / सदस्य
49. श्री नूर आलम	पार्षद / सदस्य
50. श्रीमती सोनी सिंह	पार्षद / सदस्य
51. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
52. श्री मो0 आमिर खान	पार्षद / सदस्य
53. श्री जितेन्द्र	पार्षद / सदस्य
54. श्री कमल शुक्ल 'बेबी'	पार्षद / सदस्य
55. श्री सौरभ तिवारी	पार्षद / सदस्य
56. श्री दुर्गा प्रसाद	पार्षद / सदस्य
57. श्री नीरज बाजपेई	पार्षद / सदस्य
58. श्रीमती सीमा सचान	पार्षद / सदस्य
59. श्रीमती यशोदा देवी	पार्षद / सदस्य
60. श्रीमती दीपा	पार्षद / सदस्य
61. श्रीमती शकुन्तला देवी	पार्षद / सदस्य
62. श्री अरविन्द यादव	पार्षद / सदस्य
63. श्रीमती चन्द्रावती	पार्षद / सदस्य
64. श्री लियाकत अली	पार्षद / सदस्य
65. श्रीमती शाहिबा परवीन	पार्षद / सदस्य
66. श्री राजीव सेतिया	पार्षद / सदस्य
67. श्री मनोज कुमार पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
68. श्री अमित कुमार मेहरोत्रा	पार्षद / सदस्य
69. श्रीमती सुधा	पार्षद / सदस्य
70. श्री यशपाल सिंह	पार्षद / सदस्य
71. श्री विकास जायसवाल	पार्षद / सदस्य
72. श्री हरि शंकर गुप्ता	पार्षद / सदस्य
73. श्रीमती शशी साहू	पार्षद / सदस्य
74. श्री सन्तोष साहू	पार्षद / सदस्य
75. श्री राशिद आरफी	पार्षद / सदस्य
76. श्रीमती अल्पना जायसवाल	पार्षद / सदस्य
77. श्री अमनदीप सिंह गम्भीर	पार्षद / सदस्य
78. श्रीमती सुमन त्रिवेदी	पार्षद / सदस्य
79. श्रीमती मेनका सिंह सेंगर	पार्षद / सदस्य
80. श्री अनूप कुमार शुक्ला	पार्षद / सदस्य
81. श्री गुरू नारायण गुप्ता	पार्षद / सदस्य
82. श्री राघवेन्द्र मिश्रा	पार्षद / सदस्य
83. श्री प्रमोद जायसवाल	पार्षद / सदस्य
84. श्री नवीन पण्डित	पार्षद / सदस्य
85. श्रीमती जरीना खातून	पार्षद / सदस्य
86. श्री दीपक शर्मा	पार्षद / सदस्य
87. श्री कौसर अली	पार्षद / सदस्य
88. श्री योगेन्द्र सिंह	पार्षद / सदस्य
89. श्री अभिषेक गुप्ता	पार्षद / सदस्य
90. श्रीमती शाहीन खातून	पार्षद / सदस्य
91. श्री मन्नू रहमान	पार्षद / सदस्य
92. श्री मो0 आरिफ	पार्षद / सदस्य

93. श्री शिवम दीक्षित	पार्षद / सदस्य	अधिकारीगण	
94. श्री राशिद महमूद	पार्षद / सदस्य	1. श्री अक्षय त्रिपाठी	नगर आयुक्त
95. श्री हाजी सुहेल अहमद	पार्षद / सदस्य	2. श्री अमृतलाल बिन्द	अपर नगर आयुक्त 'प्रथम'
96. श्रीमती शबनम बानों	पार्षद / सदस्य	3. श्री अरविन्द राय	अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय'
97. श्री अश्वनी चड्ढा	पार्षद / सदस्य	4. श्रीमती रोली गुप्ता	अपर नगर आयुक्त 'तृतीय'
		5. श्री रमेश कुमार निरंजन	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
		6. श्री कैलाश सिंह	मुख्य अभियन्ता 'सिविल'
		7. श्री संजय सिन्हा	महाप्रबन्धक 'जलकल'

वन्देमातरम् गायन के पश्चात् पूर्वान्ह 11:15 बजे कोरम के अभाव में बैठक 30 मिनट के लिये स्थगित हुई।

.....

स्थगन अवधि पश्चात् पूर्वान्ह 11:45 बजे बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया।

नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त श्री अमृतलाल बिन्द को एजेण्डानुसार बैठक संचालन हेतु निर्देशित किया, तद्नुक्रम में अपर नगर आयुक्त ने श्री महेन्द्र पाण्डेय "पप्पू" कार्यकारिणी समिति के उपसभापति के सभागार में अनुपस्थित होने के कारण मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को एजेण्डा के बिन्दु संख्या–1 में अंकित नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2019–20 के मूल बजट के तखमीनो से सदस्यों को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–146 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के मूल बजट की प्रतियाँ वितरित कराते हुये सदन पटल पर प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव संख्या –58

दिनांक 14.02.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का प्रस्ताव –89 (1) नगर निगम वित्तीय वर्ष 2019–20 का मूल बजट को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :–

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि माननीय सभापति जी, नव निर्वाचित माननीय उप सभापति जी,कार्यकारिणी के मा0 सदस्य गण, आप सभी विद्वतजनों के समक्ष नगर आयुक्त महोदय के मार्ग दर्शन तथा नगर निगम कानपुर के विभागाध्यक्षों से किये गये विचार विमर्श के पश्चात मै मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,नगर निगम कानपुर नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित कुल आय 115535.70 लाख (1155 करोड़ 35 लाख 70 हजार) व प्रारम्भिक अवशेष रूपया 32732.13 लाख (327 करोड़ 32 लाख 13 हजार) कुल रूपया 148267.83 लाख (1482 करोड़ 67 लाख 83 हजार) के सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय रूपया 125289.60 लाख (1252 करोड़ 89 लाख 60 हजार)अन्तिम अवशेष 22978.23 लाख (229 करोड़ 78 लाख 23 हजार) कुल रूपया 148267.83 लाख (1482 करोड़ 67 लाख 83 हजार) का मूल बज़ट तैयार कर प्रस्तुत कर रहा हू –

वित्तीय वर्ष 2019-20 का मूल बजट 148267.83 लाख (1482 करोड़ 67 लाख 83 हजार) कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो नगर निगम कानपुर की तमाम वित्तीय परेशानियों के बावजूद गत वर्ष से 3003 .33 लाख (33 करोड 03 लाख 33 हजार) अधिक है। **खुदरा महंगाई जनवरी 2019 में और लुढकते हुये 2.05 फीसदी पर आ गयी है। पिछले साल से तुलना करे तो महंगाई एक तिहाई रह गयी है।खुदरा महंगाई जनवरी 2018 में 5.07 फीसदी थी। केन्द्रीय सांख्यिकी विभाग (सीएसओ) ने मंगलवार दिनांक 12 फरवरी 2019 को ही यह आंकड़ा जारी किया है। दिसंबर 2018 मे महंगाई 2.19 फीसदी पर रही थी,जो डेढ़ साल के निचले स्तर पर थी। आरबीआई का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 की आखिरी तिमाही में खुदरा महंगाई 2.8 फीसदी के आस पास रह सकती है।** तात्पर्य यह है कि मंहगाई की दर में गिरावट के बावजूद भी हमने बज़ट की धनराशि में बढ़ोत्तरी कर कानपुर के विकास में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है।

2. महोदय आप सभी अवगत है कि राज्य वित्त आयोग से प्रतिमाह प्राप्त हाने वाली धनराशि (रू0 2120 लाख) नगर निगम की आवश्यकता को देखते हुये ऊँट के मुंह में जीरे की भॉति है। विगत तीन वर्षो की तुलनात्मक स्थिति से सुस्पष्ट है कि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि लगातार कम हो रही है जबकि अधिष्ठान पर व्यय लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से हमने 34.00 करोड रूपये अधिष्ठान पर अधिक व्यय किया था तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से हमने 81.00 करोड रूपये अधिष्ठान पर अधिक व्यय किया है जो चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी माह तक बढ़कर 145.00 करोड़ हो गया है तथा 31 मार्च तक कुल 155.00 करोड़ सम्भावित है।

(धनराशि करोड में)

वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रतिमाह लगभग 900.00 लाख (09 करोड़) की धनराशि नगर निगम निधि से जोड़ते हुयें अधिकारियों/ कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन में भुगतान की जाती है। जिस कारण नगर निगम निधि से होने वाले विकास कार्यो पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है तथा चाहते हुये भी निगम नगर निगम निधि से विकास कार्य कराने में

निगम असुविधा महसूस कर रहा है। अगर यही स्थिति रही तो न तो पूर्व में पूर्ण हुये कार्यो का भुगतान हो पायेगा और न ही नये कार्य हो पायेंगें और अंतत: नगर निगम की छवि धूमिल होगी। चौथी शताब्दी ई0 पूर्व के महान चिन्तक कौटिल्य ने अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा है कि अर्थ के बिना कोई राज्य चलना असभंव है। आय के अनुसार खर्च करना चाहिये। फिजूलखर्ची बर्बाद कर देगी। अत: आवश्यकता इस बात की है, कि हमे नगर निगम के राजस्व की वृद्धि में न केवल मिलजुल कर ठोस सामूहिक प्रयास करने होंगे बल्कि एक जुनून जगाना होगा क्योकि कहते है –

मंजिल यू ही नही मिलती दोस्त ,एक जुनून जगाना पड़ता है।
पूछां चिड़िया से घोसला कैसे बनता है ,बोली तिनका – तिनका उठाना पड़ता है।

बजट में प्रस्तुत आंकडे बताते है कि जनवरी 2019 तक सम्पत्ति कर से नगर निगम की वास्तविक आय 8265.58 लाख (82 करोड़ 65 लाख 58 हजार) ही हो सकी है जो मार्च तक लगभग 11500 लाख (115.00 करोड) सम्भावित है। इतनी धनराशि तो वेतन एवं पेंशन की प्रतिपूर्ति में ही खप जायेगी फिर विकास कार्य एवं अन्य आवश्यक व्यय कैसे होगें यह सोचने का विषय है। आने वाले वित्तीय वर्ष में मंहगाई भत्ता आदि की बढोत्तरी होने से अधिष्ठान व्यय बढना ही है। अत: उसी अनुपात में हमे अपने सम्पत्ति कर की वसूली में वृद्धि करनी होगी , अन्यथा कानपुर की भावी पीढी हमे कभी माफ नही करेगी। यहॉ हमें शायर मुज़फ्फर रज़मी की कुछ पंक्तियॉ याद आ रही है। उन्होने लिखा है –

कुछ ऐसे भी मंज़र है तारीख की नज़रो में ,
लम्हो ने खता की थी, सदियों ने सजा पायी है।

3 राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली अपर्याप्त धनराशि तथा आवश्यकता के सापेक्ष कम वसूली की प्रकृति के दृष्टिगत आवश्यकता इस बात की है कि सड़क अनुरक्षण ,नाला/नाली अनुरक्षण जैसे बड़े कामो को 14 वां वित्त आयोग की धनराशि से कराने को प्राथमिकता दी जाये इसी कारण आगामी वित्तीय वर्ष के मूल बजट में चालू वित्तीय वर्ष से उक्त मदो में क्रमश: रूपया 5.0 करोड़ व रूपया 1.5 करोड़ कम की गयी है तथा नगर निगम की वर्तमान आवश्यकता जहरीली प्राण वायु की गुणवत्ता में सुधार हेतु उद्यानों का रख रखाव /वृक्षारोपड़ /हरित क्षेत्र के विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष के प्राविधानित 3.0 करोड़ के अनुमानित बजट को बढ़ाकर 10.00 करोड़ किया गया है। इसी तरह स्वास्थ्य गतिविधियों को बढावा देने हेतु खेल के मैदानो /क्रीड़ा स्थलों के रख रखाव एवं खेल कूद गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु चालू वित्तीय वर्ष की प्राविधानित धनराशि रूपया 25.00 लाख को बढ़ा कर अगामी वित्तीय वर्ष में रूपया 1.00 करोड़ प्रस्तावित है। आवारा पशुओ की बढती समस्या को दृष्टिगत रखते हुये कान्हा गौशाला एवं बे-सहारा पशु आश्रय योजना का एक नया तखमीना बनाकर अगामी वित्तीय वर्ष में रूपया

10.00 करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है। स्वच्छ सर्वेक्षण की गाइड लाइन्स के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कार्यरत संविदा/आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन तथा इस कार्य में लगाये गये वाहनों के रख रखाव एवं ईंधन का प्रथक से हिसाब रखने हेतु नये तखमीनों का सृजन किया गया है।

नगर निगम की लम्बित देयताओं के दृष्टिगत करों से आय का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में अगामी वित्तीय वर्ष हेतु 13.00 करोड़ अधिक प्रस्तावित है जो (168 करोड़ 01 लाख 50 हजार) व्यवहारिक लक्ष्य से बहुत कम है आवश्यकताओ के दृष्टिगत हमें इस लक्ष्य के पार जाना होगा। बज़ट में आय का लक्ष्य बढाने का प्रभाव व्यय पक्ष पर पड़ना स्वाभाविक था इसलिये बज़ट प्राविधान अधिक न बढाते हुये अतिरिक्त आय से लम्बित देयताओं की प्रतिपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है।

4 वित्तीय परेशानियों के वाबजूद जहॉ प्रदेश के अन्य नगर निगमों में कई कई माह से वेतन एवं पेंशन के भुगतान लम्बित होने के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों में असतोष व्याप्त हो रहा है वहीं हमें यह सूचित करने में हर्ष हो रहा है कि अभी तक नगर निगम कानपुर में ऐसी कोई विषम स्थिति उत्पन्न नही होने दी गयी है और आगे भी ससमय अधिकारियों/कर्मचारियों के देय भुगतान कर नगर निगम कानपुर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनायें रखने का पूरा प्रयास किया जायेगा। लेकिन हमे इस सच्चाई से भी मुंह नही फेर लेना है कि फिलहाल हमारी सारी ऊर्जा वेतन एवं पेशंन की प्रतिपूर्ति कराने मे ही खर्च हो रही है।

तकाज़ा है वक्त का कि तूफान से जूझो
कहॉ तक चलोगे किनारे किनारे

5. 14वे वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल धनराशि 9697.66 लाख (96 करोड 97 लाख 66 हजार) के दृष्टिगत अगामी वित्तीय वर्ष में रूपया 15000.00 लाख (150 करोड़) विकास कार्य हेतु व्यय किये जाने का बजट अनुमान तैयार किया गया है। अवस्थापना निधि में भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्त धनराशि 987.40 लाख (9 करोड़ 87 लाख 40 हजार) के दृष्टिगत अगामी वित्तीय वर्ष में रूपया 3000.00 लाख (30 करोड़) विकास कार्य हेतु व्यय किये जाने का बज़ट अनुमान तैयार किया गया है ताकि बड़े कार्य यथा सम्भव इन मदों से सम्पादित हो सके तथा निधि पर अनावश्यक व्यय भार न पड़े। जन सामान्य के हित में विकास कार्यो की गंगा बहती रहे जिसके पवित्र जल से अभिसिंचित जन सामान्य की दुआओं से नगर निगम पूर्व की भॉति प्रगति के पथ पर अग्रसर रहते हुये न केवल राज्य में बल्कि देश में भी अपना परचम फहरा सके। आप सभी महानुभावों की तरफ से —

हमारा वादा है ,हर घर को जगमगायेगें ,

दियों की लौ को, हवाओं से हम बचायेंगें।
स्वर्ग उतरेगा एक रोज़, कानपुर की धरती पर ,
जो कोई कर नही पाया, वह कर दिखायेगें

6. इन्ही विशेषताओं के साथ नगर निगम कानपुर का मूल बज़ट वित्तीय वर्ष 2019-20 माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया विचारोपरान्त अनुमोदन देने की कृपा की जाये।

धन्यवाद।

नगर निगम कानपुर

आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2017–18	मूल/पुनरीक्षित धनराशि 2018–19	वास्तविक आय जनवरी 2014 तक	वास्तविक आय जनवरी 2019 तक	प्रस्तावित धनराशि 2019–20
	Revenue Income		राजस्व आय						
1101	Tax Revenue	1101	करों से आय	3	13285.50	15501.50		8502.18	16801.50
1201	Assigned Revenues & Compensations	1201	कर्तव्यों के आधीन आय	3	0.57	4.00		2.57	4.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	107.45	170.50		94.50	170.50
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्कों से आय	3-4	1094.22	2379.00		1894.46	2549.00
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाडे से आय	5	121.90	227.00		49.47	227.00

1701	Income from Investments	1701	विनियोगो से आय	5	0.00	6.00		0.00	6.00
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	5	409.47	405.00		294.52	405.00
1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	238.23	462.10		270.10	462.10
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	6	30468.46	31202.00		22071.09	31277.00
	TOTAL -(A)		**योग (अ)**	**6**	**45725.80**	**50357.10**		**33178.89**	**51902.10**
	Capital Income		पूँजीगत आय	-					
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-					
3111	Finance Commission: Forteenth	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ	6	13292.99	13100.00		5134.80	13100.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	6	3063.17	4050.00		1106.22	4050.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	6-7	12305.34	14635.50		884.49	3895.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	7	0.00	4.00		0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	7	0.00	3.00		0.00	3.00
	TOTAL -B-		**योग (ब)**	**7**	**28661.50**	**31792.50**		**7125.51**	**21052.00**
	TOTAL (A+B)		योग (अ+ब)	**7**	**74387.30**	**82149.60**		**40304.41**	**72954.10**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0 / अमृत)						
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिकमि निधि ऋण (रिवालविंग फण)	7	0.00	5200.00		0.00	5200.00
3111	JNNURM Scheme	3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम / अमृत योजना प्राप्तियाँ	7-8	323.85	37381.60		3680.70	37381.60
	TOTAL -C-		**योग (स)**	**8**	**323.85**	**42581.60**		**3680.70**	**42581.60**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income (A+B+C)		**कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)**	**8**	**74711.14**	**124731.20**		**43985.11**	**115535.70**
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेष:-	8	29372.04	12469.40		36729.81	32732.13
	Grand Total		**महायोग**	**8**	**104083.19**	**137200.60**		**80714.92**	**148267.83**

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2017–18	मूल / पुनरीक्षित धनराशि 2018–19	वास्तविक व्यय जनवरी 2014 तक	वास्तविक व्यय जनवरी 2019 तक	प्रस्तावित धनराशि 2019–20
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय						
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	9	36010.85	40420.00		31278.89	40455.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	9-10	1543.57	2037.00		947.64	2257.00
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	10-12	8946.61	10391.00		4320.08	12496.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	12	399.16	458.00		0.45	458.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	12-13	293.66	1340.00		106.66	1040.00
	TOTAL -D-		योग (द)	13	**47193.86**	**54646.00**		**36653.71**	**56706.00**
	Capital expenses		पूँजीगत व्यय						
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ						
3111	Finance Commission: Forteenth	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ	14	7777.48	16500.00		8211.36	16500.00
3111	Infrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	14	2280.72	4000.00		2300.44	4000.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	14	11732.00	15131.50		1045.23	5516.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	15	0.00	4.00		0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	15	0.00	32.00		0.00	32.00
	Total -E-		योग (य)	15	**21790.21**	**35667.50**		**11557.03**	**26052.00**
	Total -(D+E)		योग (द+य)	15	**68984.06**	**90313.50**		**48210.74**	**82758.00**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0 / अमृत)						
3112	ULB Share transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	15	0.00	5200.00		0.00	5200.00
4604	JNNURM Scheme Advance	4604	जे.एन.एन.यू.आर.एम / अमृत योजना	15	105.65	37331.60		3725.18	37331.60

			अग्रिम						
	TOTAL -F-		योग (ए)	**15**	**105.65**	**42531.60**		**3725.18**	**42531.60**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)	**15**	**69089.72**	**132845.10**		**51935.92**	**125289.60**
3401	Less :- Outstanding dues / Suspenses	3401	घटायें :– देयतायें/उचन्त खाते	16	1736.34	0.00		3953.13	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय	**16**	**67353.37**	**132845.10**		**47982.79**	**125289.60**
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष :–	16	36729.81	4355.50		32732.13	22978.23
	Grand Total		महायोग	**16**	**104083.19**	**137200.60**		**80714.92**	**148267.83**

श्री प्रमोद जायसवाल ने कहा कि पहले चर्चा करा ली जाये, उसके उपरान्त बजट पर चर्चा की जाये।

अपर नगर आयुक्त ने कहा कि बजट के लिये विशेष सदन पूर्वान्ह 11:00 बजे से आहूत किया गया है तथा चर्चा के लिये सदन अपरान्ह 12:00 बजे आहूत किया गया है।

अध्यक्ष ने कहा कि यदि आप सभी सदस्यों को अपने शहर के लिये चिन्ता है, तो एक बार में एक सदस्य ही बोले।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि वित्तीय वर्ष अप्रैल से प्रारम्भ होता है, वर्तमान में दिसम्बर माह चल रहा है। अब वित्तीय वर्ष 2019–20 के मूल बजट का क्या औचित्य है ? मार्च–अप्रैल में यदि लोकसभा निर्वाचन की आचार संहिता चल रही थी, तो यह बजट जुलाई में लाया जा सकता था। बजट में जो आय दर्शायी गयी है, वह वास्तविक आय है या उसमें ओ0टी0एस0 भी शामिल है। नगर निगम को किस मद से कितनी आय हुई, यदि इसकी जानकारी हम सदस्यों को नही दी जाती है तो बजट पर चर्चा का मतलब क्या है ?

श्री कमल शुक्ल "बेबी" ने कहा कि हम अधिनियम के अनुसार चलते है और अधिनियम के अनुसार वर्ष में 06 सदन होने चाहिये, परन्तु कहाँ अनुपालन होता है, केवल बहानेबाजी की जाती है। हमारे मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी बताये कि नगर निगम का पैसा कहाँ खर्च हुआ और जब हम सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे तभी बजट को पास किया जायेगा।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि मेरा सिर्फ एक अनुरोध है कि बजट में नगर निगम की जो आय दिखाई गई है, क्या वह वास्तविक आय है या उसमें ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि भी शामिल है। बजट सत्र व्यतीत हो चुका है, तो ऐसे में क्या अब बजट सदन में लाना उचित है ? इस समय तो सदन पटल पर वित्तीय वर्ष 2019–20 का पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

श्री राघवेन्द्र मिश्रा ने कहा कि महानगर की समस्याओं से सम्बन्धित सभी विषयों पर चर्चा की जाये, किन्तु कुचर्चा न की जाये। मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी से कहा है कि एक–एक विषय पर जवाब दिया जायेगा। कृपया शांतिपूर्ण ढंग से सदन चलने दिया जाये ताकि सभी विषयों पर सार्थक चर्चा हो सके।

श्री सौरभ देव ने कहा कि मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी यह बताये कि बजट में लॉयबिलटी कितनी है ? ओ0टी0एस0 में कितनी धनराशि जमा हुई है ? इसका कोई जिक्र नही है। क्या वास्तविक आँकड़े दिसम्बर तक नही मिल सके।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि वर्ष 2017–18 की आय–व्यय को संज्ञान में लेते हुये तथा वर्ष 2018–19 की जनवरी तक की आय–व्यय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 का (अनुगानित आय–व्यय) बजट तैयार किया गया है, जिसमें आय–व्यय की तखमीनें अंकित है। सदन के सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया उसे देख लिया जाये यदि कोई विशेष जानकारी चाहिये तो मेरे कार्यालय में सादर आमंत्रित है।

अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि ओ0टी0एस0 द्वारा की गयी वसूली गयी समस्त धनराशि का विवरण प्रश्नकर्ताओं को उपलब्ध कराएं।

श्री प्रमोद जायसवाल ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा थी कि महानगरों को चट्टामुक्त, गड्ढामुक्त किया जाये, यह क्यों नही हुआ ? स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत बनवाये गये शौचालय आज भी अधूरे पड़े है, परन्तु पूर्ण दिखा दिये गये। डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था नही हो पा रही है। नगर निगम का स्वास्थ्य व अभियन्त्रण विभाग द्वारा नाले साफ नही कराये गये, जिसके कारण पिछली बरसात में शहर जलमग्न हो गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मेरे वार्ड में 03 गाड़ियाँ दिये जाने हेतु कहा गया था, किन्तु इनके द्वारा मेरे वार्ड में एक ही गाड़ी दी गई, ऐसा क्यों ?

सभापति ने सभी सदस्यों से सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि सदन सही ढंग से संचालित हो, इसलिये सभी सदस्य कार्यसूची के एक–एक बिन्दु पर चर्चा करे।

अपर नगर आयुक्त ने कहा कि यह बजट का विशेष सदन है, इसलिये ओ0टी0एस0 पर अलग से चर्चा कर ली जायेगी।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय हम आपके माध्यम से पूँछना चाहते है कि विज्ञापन में वास्तविक आय वर्ष 17–18, 18–19 में रू0 500.00 लाख व वर्ष 2019–20 की प्रस्तावित रू0 500.00 लाख दर्शाई गई है। मैंने कार्यकारिणी समिति की बैठक में जब नगर आयुक्त जी से विज्ञापन के सम्बन्ध में पूँछा था, तब नगर आयुक्त जी द्वारा बताया गया था कि विज्ञापन से नगर निगम को काई आय नही है, फिर बजट में विज्ञापन मद में यह आय कहाँ से दर्शायी गयी है।

अपर नगर आयुक्त ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि विज्ञापन कर की वसूली नही की जायेगी। इसी के अनुपालन में विज्ञापन कर की बजाय स्थल किराया लागू करेंगे।

श्री सौरभ देव ने कहा कि अध्यक्ष महोदय मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि विज्ञापन विभाग में बहुत अनियमिततायें की जा रही है। अभी नगर निगम के किसी अधिकारी द्वारा एक विज्ञापन एजेन्सी से 25 वर्षो का अनुबन्ध कर लिया गया है, जबकि नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–305 के अनुसार नगर आयुक्त द्वारा अधिकतम 02 वर्ष का अनुबन्ध किया जा सकता है, ऐसे में जिस अधिकारी द्वारा कम्पनी से साँठ–गाँठ करके अनियमितता करते हुये यह अनुबन्ध किया गया है, उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। इसी प्रकार मेरे वार्ड के अन्तर्गत स्थित पालिका स्टेडियम में पिछले वर्ष कितनी आय हुई और उसके सापेक्ष कितना व्यय हुआ, इससे मुझे अवगत कराया जाये क्योंकि वहाँ पर पदस्थ एक अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है, जिससे वहाँ पर कई वित्तीय अनियमिततायें हो रही है, कृपया इसकी भी जाँच कराई जाये। साथ ही यह भी अवगत कराएं कि क्या बिना मा0 सदन/कार्यकारिणी की अनुमति के बिना पी0पी0पी0 मॉडल पर अनुबन्ध किया जा सकता है।

श्री स्वर्ण सिंह, सहायक नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि नगर निगम अधिनियम–1959 के अन्तर्गत किसी भी विज्ञापन एजेन्सी को दो वर्ष से अधिक विज्ञापन हेतु अनुमति नही दी जा सकती है, किन्तु यह अनुबन्ध पी0पी0पी0 पर आधारित है।

श्री सुहेल अहमद ने कहा कि इसके पूर्व में भी इसीप्रकार विज्ञापन हेतु पी0एस0आई0टी0 को दिया गया था, जिसकी पत्रावली आज तक उपलब्ध नही है। सेलवेल कम्पनी को जो स्थल नगर निगम द्वारा दिये गये है, क्या वह उन स्थलों पर नगर निगम की शर्तो का पालन कर रही है। यहाँ पर अनियमितातायें की जा रही है। इस अनुबन्ध को निरस्त कराया जाये।

अध्यक्ष ने कहा सन्दर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में परीक्षण कर जॉच आख्या उपलब्ध कराएं।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि मैंने पूर्व में ही प्रस्ताव दिया था कि कानपुर महानगर को विज्ञापन मुक्त कर दिया जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि जब विज्ञापन से वसूली पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है और 07 वर्षो से विज्ञापन नियमावली नही बन सकी, न ही आपत्तियों पर चर्चा हुई, तो बजट में विज्ञापन मद में जो आय दर्शाई गई है, वह किससे जमा कराई गई है।

अपर नगर आयुक्त ने कहा कि जिन विज्ञापन एजेन्सियों ने अपनी स्वेच्छा से विज्ञापन कर जमा किया है, उनसे जमा करा लिया गया है।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि आपने अभी कहा कि जिन विज्ञापन एजेन्सियों ने अपनी मर्जी से विज्ञापन कर जमा किया है, उनसे जमा करा लिया गया है। यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन कर की वसूली पर रोक लगा दी गई है, तो क्या यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नही है ? यदि बाद में विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा जमा की गई धनराशि को वापस किया जाता है, तो बजट में इस मद में दर्शाई गई आय शून्य हो जायेगी ? अपर नगर आयुक्त जी आप मा0 सदन व कार्यकारिणी के आदेशों को दबा देते है, यह मा0 सदन व कार्यकारिणी की अवहेलना है। अध्यक्ष महोदय अपर नगर आयुक्त जी के ऊपर कार्य का अधिक भार है, कृपया इनका कुछ कार्यभार दूसरे अधिकारियों को भी दे दिया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि विज्ञापन में की गई अनियमितताओं के लिये अधिकारियों एवं पार्षदों सहित एक कमेटी बनाई जाये और जाँच के उपरान्त दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। यह भी बताया जाये कि अधिनियम के विपरीत एक कम्पनी से 25 वर्ष का अनुबन्ध कैसे किया गया।

श्री शरद मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2018–19 व 2019–20 में कानपुर महानगर के अन्तर्गत यूनीपोल पर विज्ञापन करते हुये विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा सम्बन्धित उपभोक्ताओं से धनराशि की वसूली कर रहे है, किन्तु जी0एस0टी0 के कारण नगर निगम उनसे वसूली नही कर पा रहा है, इससे नगर निगम को लगभग 04–05 करोड़ की वित्तीय हानि हो रही है। यही स्थिति विज्ञापन पटों की भी है।

अपर नगर आयुक्त ने प्रस्ताव सं0–2 पर विचार विमर्श हेतु सदस्यों से अनुरोध किया, जिस पर श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि अपर नगर आयुक्त जी आप सदन को गुमराह कर रहे हो। आप बिना सदन की सहमति लिये बजट पास करते हुये अगले प्रस्ताव पर आ गये, मैं पूँछना चाहता हूँ कि फेरीनीति के सम्बन्ध में कोई निर्णय नही लिया गया है तो आप द्वारा बजट में फेरीनीति के मद में किस आधार पर रू0 25.00 लाख की आय दर्शाई गई है, अवगत कराये।

..... सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी कार्यकारिणी सदस्यों के वार्ड क्षेत्रों से एक–एक पार्क तथा एक पार्क महापौर जी के निर्देशानुसार इस प्रकार कुल 13 पार्क अमृत योजना के अन्तर्गत विकसित कराये जाने एवं नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले कार्यो हेतु आमंत्रित की गई निविदाओं में 10 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदादाता की निविदा स्वतः निरस्त माने जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री महेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि उपरोक्त निर्णय जिसमें अभियन्त्रण विभाग के कार्यो में ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदा डाले जाने पर निविदादाता की निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी, जबकि ऐसा कहीं प्रावधान नही है।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व की कार्यकारिणी समिति की बैठक में रू0 10.00 लाख तक के कार्यो को ई–टेंडरिंग से मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया था, परन्तु संज्ञान में आया है कि रू0 10.00 लाख तक के कार्यो को भी ई–टेंडरिंग से कराये जाने की तैयारी हो रही है, यह किससे आदेश से और क्यो हो रहा है ? क्या कार्यकारिणी व सदन से भी बढ़कर कोई सर्वोच्च संस्था है ? यह भी स्पष्ट करें कि उपरोक्त दर्शाये गये निर्णय "नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले कार्यो हेतु आमंत्रित की गई निविदाओं में 10 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदादाता की निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी" क्या विधि संगत है ?

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि इस निर्णय को निरस्त किया जाये।

अपर नगर आयुक्त प्रथम ने सदस्यों को अवगत कराया कि इस निर्णय पर चर्चा हुई थी, यह कोई प्रस्ताव नही है।

मुख्य अभियन्ता "सिविल" ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि यह निर्णय वित्तीय नियमों के विपरीत एवं विधिसंगत नही है। अतः इसे निरस्त माना जाये।

..... अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले कार्यो हेतु आमंत्रित की गई निविदाओं में 10 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदादाता की निविदा स्वतः निरस्त माने जाने से पूर्व मा0 पार्षदो एवं अधिकारियों की एक कमिटी बनाकर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करें।

..... सर्वसम्मति से नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2019–20 के मूल बजट में आय के पक्ष में रू0 115535.70 लाख तथा प्रारम्भिक अवशेष रू0 32732.13 लाख इस प्रकार कुल रू0 148267.83 लाख तथा व्यय पक्ष में रू0 125289.60 लाख तथा अन्तिम अवशेष रू0 22978.23 इस प्रकार कुल रू0 148267.83 लाख दर्शायी गई धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या –59

दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी की बैठक का प्रस्ताव संख्या–213 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन की बैठक में प्रस्तुत करने के लिये मा0 महापौर महोदया के निर्देशानुकम स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है :–

कानपुर नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2019–20 के मूल बजट के आय व्यय विवरण में आवंटित धनराशि के अर्न्तगत दिनांक 29 अक्टूबर 2019 को वास्तविक आय व्यय के अनुसार कार्य हित में निम्न मद में 31 मार्च 2020 तक आय एवं व्यय में अनुमानित आवंटित धनराशि को संशोधित किये जाने की आवश्यकता है जो निम्नवत है :–

आय पक्ष––

धनराशि लाख में।

कमांक	मद शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट में आवंटित	दिनांक 29 अक्टूबर 2019 तक आय	संशोधित बजट धनराशि

उपरोक्तानुसार उल्लिखित मद मे आवंटित धनराशि संशोधित किए जाने की सवीकृतार्थ एवं अनुमोदनार्थ मा0 कार्यारिणी समिति के समक्ष प्रसत्तु है। यह भी निवेदित है कि उक्त संशोधन के फलस्वरूप मूल बजट में प्रस्तावित कुल आय एवं कुल व्यय की धनराशि यथावत बनी रहेगी।

..... वित्तीय वर्ष 2019–20 के मूल बजट के उपरोक्तानुसार मदों की संशोधित धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्वात संख्या–60

दिनांक 14.02.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का प्रस्ताव –89 (2) जलकल विभाग का वार्षिक बजट वर्ष 2019–20 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :–

जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर

प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2019–20

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं0	मद विवरण	वास्तविक आय 2017–18	प्रस्तावित आय 2018–19	वास्तविक आय दिसम्बर, 2018	प्रस्तावित आय 2019–20
अ–		राजस्व आय –				
1100201		जलकर	5714.80	6700.00	3731.25	7530.00
1501011		अतिरिक्त जलमूल्य / न्यूनतम प्रभार	1668.10	2260.00	752.60	2410.00
1100301		सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	2116.87	2970.00	1073.08	3050.00
1408002		अन्य प्राप्तियाँ	17.66	30.00	13.72	30.00
1408001		अधिभार	3.31	10.00	0.16	10.00
1401502		नियमितीकरण	10.50	20.00	5.10	20.00
1401401		विकास शुल्क	125.76	120.00	69.80	120.00
		योग राजस्व–	**9657.00**	**12110.00**	**5645.71**	**13170.00**
ब–		असंचालन आय –				
3111301		डिपाजिट कार्य	727.77	500.00	1166.62	500.00
3112301		अनुदान (विद्युत एवं अन्य)	-	3600.00	-	3600.00

		कुल आय --	**10384.77**	**16210.00**	**6812.33**	**17270.00**
3311001	स–	ऋण से प्राप्ति	-	-	-	-
		योग–(अ+ब+स)	**10384.77**	**16210.00**	**6812.33**	**17270.00**
		प्रारम्भिक अवशेष	6388.35	2675.00	4065.49	2372.00
		महायोग–	**16773.12**	**18885.00**	**10877.82**	**19642.00**

जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर
प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2019–20

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं0	मद विवरण	वास्तविक आय 2017–18	प्रस्तावित आय 2018–19	वास्तविक आय दिसम्बर, 2018	प्रस्तावित आय 2019–20
	अ–	संचालन व्यय –				
2101001	1	अधिष्ठान व्यय	9132.64	10835.00	6823.17	10405.00
2302001	2	विद्युत एवं ऊर्जा	259.48	3000.00	6.00	3600.00
2303004	3	पूर्तियाँ	351.82	600.00	333.25	700.00
2308007	4	अन्य व्यय	39.47	75.00	42.92	75.00
2305006	5	रख–रखाव व्यय	777.85	1185.00	654.68	1390.00
2208003	6	जनरल टैक्स	301.49	250.00	0.00	300.00
		योग संचालन व्यय–	**10862.75**	**15945.00**	**7860.02**	**16470.00**
	ब–	असंचालन व्यय –				
4104007	1	जल मापक यंत्रों का क्रय	-	2.00	-	2.00
4106001	2	मशीनों तथा यन्त्रों का क्रय	-	20.00	-	20.00
4107001	3	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय	-	10.00	-	10.00
4105001	4	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर क्रय	-	0.00	-	0.00
4102001	5	भवन निर्माण एवं भूमि	-	10.00	-	10.00
4107006	6	आकस्मिक पूँजीगत व्यय	-	6.00	-	6.00
4103101	7	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)	-	10.00	-	10.00
4103201	8	ट्यूबवेल/पम्प हाउस	-	0.00	-	0.00

4104003	9	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का क्रय	-	10.00	-	10.00
3311001	10	ऋण एवं ब्याज का भुगतान	-	0.00	-	0.00
3111301	11	डिपाजिट कार्य का भुगतान	1844.88	500.00	1195.44	500.00
		योग असंचालन व्यय–	**1844.88**	**568.00**	**1195.44**	**568.00**
		कुल योग (अ ब) व्यय	12707.63	16513.00	9055.46	17038.00
		अन्तिम अवशेष	4065.49	2372.00	1822.36	2604.00
		महायोग	**16773.12**	**18885.00**	**10877.82**	**19642.00**

..... सर्वसम्मति से जलकल विभाग के वित्तीय वर्ष 2019–20 के मूल बजट के आय पक्ष में रू0 17270.00 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष रू0 2372.00 लाख इस प्रकार कुल रू0 19642.00 लाख तथा व्यय पक्ष में रू0 17038.00 लाख एवं अन्तिम अवशेष रू0 2604.00 लाख इस प्रकार कुल रू0 19642.00 लाख की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या –61

प्रस्ताव

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या– 1229/3/प दिंनाक 10.12.2019 को सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित

कानपुर नगर निगम की मूलभूत सुविधाओं(जैसे रोड, नाली, मार्ग प्रकाश, सफाई इत्यादि) को नागरिकों को उपलब्ध कराने तथा क्षेत्रीय विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण दायित्व नगर निगम, कानपुर का है। वर्तमान में भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन एवं उत्तर प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत नगर निगम कानपुर द्वारा नगर क्षेत्र को स्वच्छ रखने का अभियान सम्प्रति गतिमान है। शहर में सुनियोजित विकास कार्य तथा नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने तथा रखरखाव हेतु काफी अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। इन आधारभूत सुविधाओं का उत्कृष्ट बनाये रखने हेतु नगर निगम की आय का एकमात्र साधन गृहकर है।

गत वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में कमशः गृहकर की वसूली कुल **रू0 124.88 करोड एवं रू0 154.55** करोड रही है, जोकि काफी कम है। वर्तमान वित्तीय में कर का लक्ष्य **रू0 220.48 करोड** किया गया है। व्यवसायिक एवं आवासीय भवनों के गृहकर निर्धारण के विवाद एवं उनके गृहकर के अवशेष एवं ब्याज में लगातार वृद्धि के कारण अनेक भवन स्वामी गृहकर जमा न करके विवाद करते है।इन मुख्य विषमताओं को समाप्त करने एवं बकाये की धनराशि को त्वरित वसूली एवं सीमित अवधि हेतु एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) लागू करना प्रस्तावित है।

नगर निगम कानपुर के एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही होनी है :–

क्र0सं0	भवन के प्रकार	एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) मे प्रदान की जाने वाली छूट	
		ब्याज	अवशेष (01.04.2018 के अवशेष माँग पर)
1	आवासीय भवन	ब्याज की धनराशि पर पूर्णयता छूट	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में शासन के आदेश के दिनांक से दिनांक 31.01.2020 तक 20 प्रतिशत तथा तदोपरान्त दिनांक 01.02.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक अवशेष माँग पर 10 प्रतिशत छूट प्रभावी होगी।
2	माल एवं प्लाजों की 200 वर्गफुट कीदुकानों को छोडकर, शेष 200 वर्गफुट की दुकान	यथावत्	यथावत्
3	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थाओं की धारा–177 के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नही है।	यथावत्	यथावत्
4	औद्योगिक ईकाईओं व सार्वजनिक उपकम	यथावत्	यथावत्
5	सरकारी और अर्द्धसरकारी कार्यालय	यथावत्	सरकारी, अर्द्धसरकारी, उपकर्मों की सम्पत्तियों, जिनके करों का भुगतान उ0प्र0 शासन द्वारा आवंटित बजट से किया जाता है, उनके लिए यह योजना मार्च 2020 तक लागू रहेगी।

एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) इन शर्तों के अधीन होगा:–

1. सम्पूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान नियत अवधि के भीतर एकमुश्त करना होगा, परन्तु पूर्व पत्रांक 2566/3/प दिनांक 09.03.2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव, जोकि शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में लागू कर दिया गया था उसमें जमा धनराशि को आंशिक भुगतान मानते हुये ,वर्तमान से लागू एकमुश्त समाधान योजना(ओ.टी.एस.) की कुल माँग मे समायोजित करते हुये अन्तर की धनराशि जमा करा लिया जाये और उसे एकमुश्त समाधान योजना(ओ.टी.एस.) के अन्तर्गत माना जायें।
2. यह योजना शासन द्वारा कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत संशोधित आदेश के दिनांक से 06(छः) माह के लिये प्रभावी होगी। पूर्व में शासन की प्रत्याशा में कानपुर नगर निगम द्वारा प्रभावी की गई एकमुश्त समाधान योजना(ओ.टी.एस.) में जमा धनराशि को,शासन से प्राप्त एकमुश्त समाधान योजना(ओ.टी.एस.) का अंश माना जायेगा।
3. इस योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से सम्बद्ध छात्रावास ही आच्छादित होगें।
4. निजी छात्रावास पर यह योजना लागू नही होगी।
5. आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक, नर्सिंग कालेज आदि तकनीकी शैक्षणिक संस्थान कर योग्य है और कर योग्य होने के कारण इस योजना से आच्छादित है।
6. इस योजना के अन्तर्गत किसी अन्य प्रकार की छूट देय नही होगी।

एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) के अन्तर्गत भवनों के उपरोक्त वर्गीकरण के नगर निगम, कानपुर का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि– करोड में)

क्र.सं.	भवन का प्रकार	संख्या	अवशेष	ब्याज	योग
1	सभी प्रकार के आवासीय	366534	39.77	21.11	60.88

2	सभी प्रकार के अनावासीय(छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम–177 के खण्ड(ग) के अधीन आच्छादित नही. औद्योगिक ईकाईयां, सरकारी, अर्द्धसरकारी व सार्वजनिक उपक्रम आदि सम्मिलित है)	38817	73.87	39.20	113.07
योग		404351	113.64	60.31	173.95

उपरोक्त एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) लागू होने से जनहित में जहॉ विवादों का निस्तारण होगा वही नगर निगम कानपुर की आय में भारी वृद्धि होगी। अतएव यह योजना जनहित के साथ–साथ नगर निगम के हित में होगी। अतः उक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी एवं मा0 सदन के स्वीकृतार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

श्री प्रमोद जायसवाल ने कहा कि पिछले वर्ष नगर निगम द्वारा वार्डो में कैम्प लगाकर जनता से ओ0टी0एस0 लिया गया था, किन्तु जनता को उसका लाभ न देकर दोबारा बिल में पैसा जोड़कर लिया जा रहा है। इससे उ0प्र0 सरकार एवं नगर निगम की बदनामी होती है। यह हमारी सरकार की योजना है, इसका लाभ जनता को मिलना चाहिये, परन्तु यह बताया जाये कि ओ0टी0एस0 की जमा धनराशि का क्या हुआ, जो पुनः ओ0टी0एस0 प्रस्ताव लाना पड़ा।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि कहाँ खर्च हुई है, इसके सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया जाये। मैं प्रश्न माननीय अध्यक्ष जी आपसे व नगर आयुक्त जी से कर रहा हूँ, इसमें किसी भी पार्षद का हस्तक्षेप उचित नही है। ओ0टी0एस0 से प्राप्त धनराशि को कहाँ खर्च किया गया है, कृपया अवगत कराया जाये।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि नगर निगम द्वारा पूर्व के एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) के स्वीकृत प्रस्ताव के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश शासन ने नीति–नियम निर्धारित करते हुये एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) प्रारूप को बोर्ड की बैठक के माध्यम से प्रेषित करने को निर्देशित किया है। तद्नुसार एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) का प्रारूप तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाना है।

..... **उपरोक्तानुसार एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) प्रारूप को ध्वनिमत से पारित करते हुये उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किया गया।**

श्री कमल शुक्ल "बेबी" ने कहा कि आज कल नगर निगम द्वारा गाय को पकड़ कर काँजी हाउस में डाला जाता है और उसको छोड़ने हेतु रू0 5000/– माँगे जाते है, यह उचित नही है, इसे कम किया जाना चाहिये, क्योंकि गाय माता पूज्यनीय है।

अध्यक्ष ने कहा कि पूरा शहर जानवरो से पीड़ित है। महानगर में चट्टे वाले चट्टे का गोबर सीधे सीवर लाईनों में डाल रहे है, जिससे सीवर लाईनें चोंक होती है। चट्टों को महानगर से बाहर किया जाना अति आवश्यक है, प्रभावी कार्यवाही करते हुये चट्टामुक्त शहर किया जायेगा।

श्री राघवेन्द्र मिश्रा ने कहा कि सदन के माननीय सदस्यों द्वारा जो भी प्रश्न किये गये है, उसका जवाब उनको लिखित रूप से प्रेषित किया जाये।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि सदन पटल पर सदस्यों द्वारा हस्तगत पत्रों के जवाब विभागों के माध्यम से भिजवाये जाये, साथ ही अधिकारियों को निर्देशित करें कि भविष्य में आहूत सदन की बैठक में विस्तृत जानकारी के साथ प्रतिभाग करे।

श्री महेन्द्र शुक्ला "दद्दा" ने कहा कि हम 05 बार से पार्षद निर्वाचित हो रहे है तथा मेरी सरकार केन्द्र, प्रदेश व नगर निगम में है फिर भी किन कारणों से माननीय महापौर जी द्वारा मेरे ही वार्ड की विकास कार्यो की पत्रावलियों पर वार्ता लिखी जा रही है ? किन कारणों से मेरे वार्ड में विकास कार्य नही कराया जा रहा है ? अवगत कराया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि श्री महेन्द्र शुक्ला "दद्दा" सदन, उपनेता है यदि कोई शिकायत है तो मिलकर अपनी बात कर सकते है।

नवीन पण्डित ने कहा कि मैं कार्यकारिणी समिति में उपसभापति था, उस समय मैंने यूजनचार्ज वसूलने सहित 06 प्रस्ताव रखे थे, जिन सभी प्रस्तावों को विधिक राय में डाल दिया गया, जो पिछले कई माह से विधिक राय हेतु पड़े है, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नही की गई है। विधि अधिकारी को बुलाकर इसके सम्बन्ध में पूँछा जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय इन प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही कराई जाये, इससे नगर निगम की आय बढ़ेगी तथा कानपुर महानगर को विज्ञापन मुक्त कर दिया जाये।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा कि सदन की पहली बैठक में नगर आयुक्त जी का मैं स्वागत करता हूँ साथ ही माँग करता हूँ कि मेरे वार्ड में दुर्गा पूजा पार्क को विकसित किया जाये, क्योंकि कार्यकारिणी में अमृत योजना के अन्तर्गत पार्क को विकसित करने का

प्रस्ताव रखा गया है। हम रोज नित्य जहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लेने जाते है, वहाँ पर एक माली तक नही है। जे0टी0एन0 से कूड़ा उठान हेतु तीन गुना दर लागू किये जाने हेतु कहा गया है। मेरे क्षेत्र की जनता यूजर चार्ज देने को तैयार है, किन्तु मेरे क्षेत्र की सफाई के साथ विकास कराया जाये।

श्री राजीव सेतिया ने कहा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित भ्रष्टाचार की खबरों को संज्ञान में लेकर कार्यवाही क्यों नही की जाती है। पैचवर्क, नाला सफाई इत्यादि में की गई अनियमितताओं पर क्या कार्यवाही की गई है ? अध्यक्ष महोदय मेरे वार्ड में रोड कटिंग कर क्षेत्र को खोद दिया गया है, किन्तु किसी के भी विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गई है और न ही किसी ठेकेदार की बैंक गारण्टी जब्त की गई।

श्री जितेन्द्र गाँधी ने कहा कि मार्गप्रकाश विभाग में सण्डे एलाउन्स के नाम पर लाखों रूपये प्रतिमाह की धाँधली की जा रही है, इसकी जाँच कराई जाये। मेरे वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत रामनवमी पर रामलला मन्दिर से सवारी निकलती है। रामनवमी पर निकलने वाली सवारी का मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त है, कृपया सवारी के मार्ग को प्राथमिकता पर बनवा दिया जाये।

श्रीमती निर्मला मिश्रा ने कहा कि हमारे यहाँ के अधिशाषी अभियन्ता व अन्य अधिकारी फोन नही उठाते है। हम पार्षद लोग जरूरत पर ही अधिकारियों को फोन करते है, ऐसे में उनके द्वारा फोन न उठाया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक है। मैने प्रस्ताव देकर अपने वार्ड में खाली पड़ी जमीन पर बारातशाला का निर्माण कराये जाने हेतु अनुरोध किया था, किन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नही हुई है। मेरे वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रसाद, राजस्व निरीक्षक ने गलत रिपोर्ट लगाकर अपात्र लोगो को सब्सिडी दिलवाई है, इसकी जाँच कराई जाये। मेरे वार्ड में सफाई निरीक्षक नही आते है, जिसके कारण क्षेत्र में समुचित कूड़ा उठान नही हो पा रहा है। कृपया इस पर भी कार्यवाही कराई जाये।

श्री अमित कुमार मेहरोत्रा ने कहा कि मेरे वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत मरे कम्पनी पुल के बगल से हीरापन्ना गेस्ट हाउस के सामने से जाने वाली सड़क तथा कैथरीन हॉस्पिटल की तरफ लखनऊ फाटक के पास का नाला अत्यधिक क्षतिग्रस्त स्थिति में है। इस सड़क के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा कहा जाता था कि यह केन्टोन्मेण्ट बोर्ड का क्षेत्र है। मेरे द्वारा कैन्टोन्मेण्ट बोर्ड से एन0ओ0सी0 लेकर मुख्य अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता को दे दी गई है। श्याम महोत्सव प्रारम्भ होने वाला है, छोटे–छोटे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तथा कैथरीन हास्पिटल भी है। कृपया इसको ध्यान में रख कर इस मार्ग को व नाले को शीघ्र बनवाया जाये। वार्ड में सफाई कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है, उसके बावजूद भी सफाई कर्मी 11–12 बजे चले जाते है। सफाई कर्मियों की ड्यूटी का समय कितने बजे से कितने बजे

तक है, अवगत कराया जाये। मेरे वार्ड क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध एवं प्राचीन काली भाँई अखाड़ा है, जो वर्तमान में अत्यधिक क्षतिग्रस्त अवस्था में है, इसका भी निर्माण प्राथमिकता पर कराया जाये।

अपरान्ह 02:00 बजे बैठक की कार्यवाही एक घण्टे के लिये स्थगित की गई।

.....

स्थगन अवधि पश्चात् अपरान्ह 03:00 बजे बैठक की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।

श्री राघवेन्द्र मिश्रा ने कहा कि अमृत योजना के अन्तर्गत पार्क विकसित कराये जाने हेतु कार्यकारिणी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी कार्यकारिणी सदस्यों के वार्ड में एक–एक पार्क तथा एक पार्क माननीय सभापति की अनुमति से कुल 13 पार्क लिये गये, जबकि सदन से प्रत्येक पार्षद के क्षेत्र में रू0 40.00 लाख की धनराशि से कार्य कराया जाना अनुमोदित किया गया था। चौदहवाँ वित्त आयोग व अवस्थापना निधि की जो भी लिस्ट आ रही है, उसमें एक ही विधान सभा में अधिक कार्य दिये जा रहे है। सभी पार्षदों के क्षेत्र में भेदभाव के बिना समान रूप से कार्य कराये जाये।

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि सभी पार्षदों के क्षेत्र में कराये गये कार्यो की तालिका दिखवा ली जाये, स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि पं0 दीनदयाल योजना के अन्तर्गत नगर निगम ब्याजमुक्त ऋण लेकर एक ही जनप्रतिनिधि के कहने पर कार्य कराये, यह उचित नही है। उस धनराशि से सभी पार्षदों के वार्ड क्षेत्र में कार्य कराये जाने चाहिये।

श्री स्वर्ण सिंह, जोनल अधिकारी ने बताया कि 02 वर्षो से अधिक समय के लिये विज्ञापन अनुबन्ध नही किया जा सकता, परन्तु पर्यावरण के दृष्टिगत हरियाली संस्था को तीन वर्षो के लिये विज्ञापन हेतु दिया गया।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने पूँछा कि सेलवेल इत्यादि कम्पनी को किस प्रकार विज्ञापन हेतु दिया गया, पूर्व अनुबन्ध निरस्त किया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि अगले सदन में सभी पार्षदों को उनके क्षेत्र में कराये गये कार्यों से अवगत कराया जायेगा। अभी हमारे पार्षद ने बताया कि कुछ जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में कार्य कराये जा रहे है। मेरे लिये सभी पार्षद समान है। शहर के बाहरी क्षेत्रों में जब अधिक धनराशि से कार्य कराये जायेंगे तभी वहाँ पर कार्य नजर आयेंगे।

श्री सौरभ देव ने कहा कि मैने एक प्रश्न पूँछा था, जिसका जवाब अभी तक नही मिल पाया है। पालिका स्टेडियम के लिये कार्यकारिणी के समक्ष आय–व्यय का जो ब्यौरा दिया गया था, उसे बजट में दर्शाया गया है या नही ? वहाँ पर तैनात रेगुलर व आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के वेतन पर कितना व्यय होता है तथा पालिका स्टेडियम की बुकिंग से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? इसके पूर्व में दक्षिण में स्थित नगर निगम के रतन लाल शर्मा स्टेडियम में क्रिकेट प्रशिक्षक हेतु निर्णय लिया गया, जिसके विरूद्ध वह विभागीय मिलीभगत से उच्च न्यायालय चले जाते है और न्यायालय से हमारे विरूद्ध निर्णय पारित करा लाते है, जिससे हमको अपमानित होना पड़ता है। इसकी भी जाँच कराकर सम्बन्धित दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

श्री अनूप शुक्ला ने कहा कि स्ट्रीट वेन्डर पर क्या कार्यवाही कराई जा रही है, अवगत कराया जाये ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि अस्पतालों से 100 मीटर की दूरी तक कोई वेंडिंग मार्केट नही होगी, क्या आप द्वारा उर्सला अस्पताल से एन0ओ0सी0 ली गई है ?

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि एस0वी0सी0 पर पुर्नविचार किया जाये साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उर्सला अस्पताल से एन0ओ0सी0 ली गई है या नही। प्रकरण की जाँच करा ली जाये तो स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जायेगी।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि चूँकि यह प्रकरण हमारे वार्ड से सम्बन्धित है, इस पर मैंने आपत्ति दर्ज कराई थी। हमारे एस0वी0सी0 सदस्य यहाँ मौजूद है, इसने पूँछ लिया जाये कि क्या यह एस0वी0सी0 की बैठक में उपस्थित थे। मैंने लॉटरी का विरोध किया था, जिस पर कोई कार्यवाही नही की गई। रू0 एक–एक लाख की गुमटी बनाकर दी जा रही है, जिसमें दुकानदार द्वारा बताया जा रहा है कि हम पैसा जमा कर रहे है, तो वह पैसा कहाँ जा रहा है ? रू0 80.00 लाख के टेण्डर कैसे हो गये, इससे वित्तीय अनियमितता प्रतीत होती है ?

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त कराते हुये नये सिरे से प्रक्रिया अपनाई जाये।

श्रीमती रोली गुप्ता ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली–2017 के नगर पथ विक्रय समिति के गठन के बिन्दु 4(1) मे वर्णित नियमों के तहत टेण्डर बेचे गये है। नियमावली में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि यदि किसी पक्ष को आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति 20 दिन के अन्दर माननीय महापौर या अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तद्नुसार ही नियमों के तहत आवंटन किया गया है।

श्री राशिद महमूद ने कहा कि मेरे क्षेत्र में जल निगम द्वारा समस्याओं का निराकरण कराया जायेगा या नही ? मेरे वार्ड क्षेत्र में हलीम कॉलेज चौराहे से लेकर चन्द्रिका देवी चौराहे तक सीवर लाईन जाम है, जिसके कारण गंदा सीवर बह रहा है। इसका शीघ्र निराकरण कराया जाये।

श्री सुनील कनौजिया ने कहा कि अधिकारी सदन को गुमराह कर रहे है इनके द्वारा मनमानी की जा रही है, पूर्व की भाँति अधिनियम में प्राविधानित नियमों के तहत विभागीय कार्यो की समीक्षा हेतु समितियों का गठन क्यों नही किया जा रहा है ? यदि समितियों का गठन हो जायेगा तो अधिकारियों की निरंकुशता समाप्त हो जायेगी।

श्री मदन बाबू ने कहा कि मार्ग प्रकाश बिन्दु बन्द है, शिकायत करने पर मार्गप्रकाश प्रभारी द्वारा न तो कोई सुनवाई की जाती है और न ही सम्मानजनक ढंग से जवाब दिया जाता है।

सभापति द्वारा सदन के सदस्यों की भावनाओं के दृष्टिगत बैठक की कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक के लिये स्थगित की गई।

ह0.....

(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर/अध्यक्ष

दिनांक– 28.12.2019 दिन शनिवार को स्थगित सदन की बैठक, जो दिनांक–08.01.2020 दिन बुद्धवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार में सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त –

उपस्थिति

1.	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर / अध्यक्ष	
2.	श्री रमेश चन्द्र	पार्षद / सदस्य	
3.	श्री शैलेश	पार्षद / सदस्य	
4.	कु0 लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य	
5.	श्रीमती रीता पासवान	पार्षद / सदस्य	
6.	श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद / सदस्य	
7.	श्रीमती आरती गौतम	पार्षद / सदस्य	
8.	श्री अवनीश खन्ना	पार्षद / सदस्य	
9.	श्रीमती संगती बाली	पार्षद / सदस्य	
10.	श्री अजीत	पार्षद / सदस्य	
11.	श्री मदन बाबू	पार्षद / सदस्य	
12.	श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद / सदस्य	
13.	श्री सौरभ देव	पार्षद / सदस्य	
14.	श्री राकेश कुमार	पार्षद / सदस्य	
15.	श्रीमती रचना त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य	
16.	श्री प्रदीप मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
17.	श्रीमती राधा देवी	पार्षद / सदस्य	
18.	श्रीमती मधु मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
19.	श्रीमती शीला पाण्डेय	पार्षद / सदस्य	
20.	श्री संजय यादव	पार्षद / सदस्य	
21.	श्रीमती कविता सिंह	पार्षद / सदस्य	
22.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य	
23.	श्रीमती निर्मला मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
24.	श्रीमती मोहिनी शुक्ला	पार्षद / सदस्य	
25.	श्री शरद प्रकाश मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
26.	श्रीमती ऊषा मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
27.	श्रीमती रीता कुशवाहा	पार्षद / सदस्य	
28.	श्री रमेश बाजपेई	पार्षद / सदस्य	
29.	श्री घनश्याम गुप्ता	पार्षद / सदस्य	
30.	कु0 विधि राजपाल	पार्षद / सदस्य	
31.	श्रीमती अंजू मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
32.	श्री अशोक पाल	पार्षद / सदस्य	
33.	श्रीमती नमिता मिश्रा	पार्षद / सदस्य	
34.	श्री मनोज कुमार राठौर	पार्षद / सदस्य	
35.	श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	पार्षद / सदस्य	
36.	श्री राज कुमार राजपूत	पार्षद / सदस्य	
37.	कु0 कीर्ति अग्निहोत्री	पार्षद / सदस्य	
38.	श्रीमती नेहा यादव	पार्षद / सदस्य	

39. श्री विजय कुमार	पार्षद / सदस्य
40. श्री अर्पित यादव	पार्षद / सदस्य
41. श्री दिनेश तिवारी	पार्षद / सदस्य
42. श्रीमती प्रभा सिंह चौहान	पार्षद / सदस्य
43. श्री अश्वनी चड्ढा	पार्षद / सदस्य
44. श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद / सदस्य
45. श्री सुशील अवस्थी 'गुड्डू'	पार्षद / सदस्य
46. श्रीमती नीतू मिश्रा	पार्षद / सदस्य
47. श्री सुमित कुमार पाल	पार्षद / सदस्य
48. श्री विजय यादव	पार्षद / सदस्य
49. श्री अनिल वर्मा	पार्षद / सदस्य
50. श्री नूर आलम	पार्षद / सदस्य
51. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
52. श्री मो0 आमिर खान	पार्षद / सदस्य
53. श्री जितेन्द्र	पार्षद / सदस्य
54. श्री कमल शुक्ल 'बेबी'	पार्षद / सदस्य
55. श्री सौरभ तिवारी	पार्षद / सदस्य
56. श्री दुर्गा प्रसाद	पार्षद / सदस्य
57. श्री नीरज बाजपेई	पार्षद / सदस्य
58. श्रीमती यशोदा देवी	पार्षद / सदस्य
59. श्रीमती दीपा	पार्षद / सदस्य
60. श्रीमती शकुन्तला देवी	पार्षद / सदस्य
61. श्री अरविन्द यादव	पार्षद / सदस्य
62. श्रीमती चन्द्रावती	पार्षद / सदस्य
63. श्री लियाकत अली	पार्षद / सदस्य
64. श्री जय प्रकाश पाल	पार्षद / सदस्य
65. श्रीमती शाहिबा परवीन	पार्षद / सदस्य
66. श्री राजीव सेतिया	पार्षद / सदस्य
67. श्री मनोज कुमार पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
68. श्री अमित कुमार मेहरोत्रा	पार्षद / सदस्य
69. श्रीमती सुधा	पार्षद / सदस्य
70. श्री यशपाल सिंह	पार्षद / सदस्य
71. श्री विकास जायसवाल	पार्षद / सदस्य
72. श्री हरि शंकर गुप्ता	पार्षद / सदस्य
73. श्री सन्तोष साहू	पार्षद / सदस्य
74. श्री राशिद आरफी	पार्षद / सदस्य
75. श्रीमती अल्पना जायसवाल	पार्षद / सदस्य
76. श्रीमती सुमन त्रिवेदी	पार्षद / सदस्य
77. श्रीमती मेनका सिंह सेंगर	पार्षद / सदस्य
78. श्री अनूप कुमार शुक्ला	पार्षद / सदस्य
79. श्री गुरू नारायण गुप्ता	पार्षद / सदस्य
80. श्री राघवेन्द्र मिश्रा	पार्षद / सदस्य
81. श्री प्रमोद जायसवाल	पार्षद / सदस्य
82. श्री नवीन पण्डित	पार्षद / सदस्य
83. श्री आमोद त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
84. श्री प्रशान्त शुक्ला	पार्षद / सदस्य
85. श्रीमती जरीना खातून	पार्षद / सदस्य
86. श्री मो0 अमीम	पार्षद / सदस्य
87. श्री दीपक शर्मा	पार्षद / सदस्य
88. श्री कौसर अली	पार्षद / सदस्य

89. श्री योगेन्द्र सिंह	पार्षद / सदस्य		
90. श्री अभिषेक गुप्ता	पार्षद / सदस्य	अधिकारीगण	
91. श्री मन्नू रहमान	पार्षद / सदस्य	1. श्री अक्षय त्रिपाठी	नगर आयुक्त
92. श्री शिवम दीक्षित	पार्षद / सदस्य	2. श्री अमृतलाल बिन्द	अपर नगर आयुक्त 'प्रथम'
93. श्री राशिद महमूद	पार्षद / सदस्य	3. श्री अरविन्द राय	अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय'
94. श्री हाजी सुहेल अहमद	पार्षद / सदस्य	4. श्रीमती रोली गुप्ता	अपर नगर आयुक्त 'तृतीय'
95. श्रीमती शबनम बानों	पार्षद / सदस्य	5. श्री रमेश कुमार निरंजन	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
पदेन सदस्य		6. श्री कैलाश सिंह	मुख्य अभियन्ता 'सिविल'
96. श्री दिलीप सिंह यादव	सदस्य विधान परिषद	7. श्री संजय सिन्हा	महाप्रबन्धक 'जलकल'

वन्देमातरम् गायन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष ने कहा कि आज का सदन सिर्फ विकास कार्य पर चर्चा के लिये होगा साथ ही यह भी अवगत कराना है कि सभी पार्षदों के यहाँ कितना कार्य कराया गया है, स्थिति स्पष्ट करते हुये तद्नुसार जिस पार्षद के यहाँ विकास कार्य कम हुये है, उसके यहाँ और कार्य कराये जायेंगे। पार्षद आज अपनी बात कहेंगे भी और दूसरे की सुनेंगे भी। अतः सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुये महानगर के विकास पर सार्थक चर्चा की जाये, मैं भी पूर्व में निर्वाचित सदन की 10 वर्ष पार्षद रही हूँ। इसी के साथ नगर आयुक्त को कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया।

तदनुक्रम में नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' को बैठक की कार्यवाही संचालित करने के निर्देश दिये।

प्रस्ताव संख्या 62

दिनांक 05.12.2018 को सम्पन्न हुई मा0 सदन की बैठक का प्रस्ताव संख्या–47 जो अगली सदन की बैठक में प्रस्तुत करने के लिये मा0 महापौर महोदया के निर्देशानुक्रम स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है :–

सादर अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, नगर विकास मंत्रालय, उत्तर प्रदेष शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.06.2018 के क्रम में विषेष सचिव, नगर विकास अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 10.09.2018 10.09.2018 द्वारा मा0 सांसद, लोकसभा, अकबरपुर कानपुर क्षेत्र श्री देवेन्द्र सिंह भोले ने विभिन्न 64 सड़कों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत धनराषि ब्याज रहित ऋण के रूप में तात्कालिक आवष्यकता के दृष्टिगत उनकी मॉग पर उपलबध कराने हेतु पत्र में वर्णित कार्यो में से 10.00 करोड़ के कार्यों का वित्त पोषण उक्त योजना से किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि रिवॉल्विंग फण्ड के अन्तर्गत शासन द्वारा विभिन्न योजनाओ में निकाय अंशों की धनराशि की कटौती राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगम को प्राप्त होने वाली धनराषि से की जायेगी। इस सम्बन्ध में शासन को यह भी अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाये कि उक्त ऋण की अदायगी, कम वार्षिक प्रिमियम के साथ अधिक वर्षो में की जाय ताकि काटी गयी धनराशि का अधिक प्रभाव न पड़े।

..... **ध्वनिमत से निरस्त किया गया।**

<u>प्रस्ताव संख्या –63</u>

दिनांक 04.09.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या–167 जो अगली सदन की बैठक में प्रस्तुत करने के लिये मा0 महापौर महोदया के निर्देशानुकम स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है :–

होम्योपैथिक आनरेरी चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

निवेदन है कि हम सभी आनरेरी चिकित्सक होम्योपैथिक, विगत लम्बे अर्से से नगर निगम द्वारा संचालित चिकित्सालयों में चिकित्सीय सेवायें दे रहे है। हमें गत कुछ वर्षो से आनरेरियम मात्र रूपया दस हजार (10000/–) प्रतिमाह दिया जा रहा है, जो वर्तमान में अपर्याप्त

है। चिकित्सालयों में दवायें न उपलब्ध होने से उसे सुचारू रूप से चलाने में समस्या होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को ध्याम में रखते हुये 20000/– रूपये करने का कष्ट करें।

श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' ने कहा कि यह चिकित्सक आउटसोर्सिंग पर है या संविदा पर ?

अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' ने अवगत कराया कि यह चिकित्सक ऑनरेरियम पर कार्यरत है।

श्री कमल शुक्ल 'बेबी' ने कहा कि नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो रू0 5000–5000 हजार के लिये दिनभर कार्य किया करते है, ऐसे में इनका ऑनरेरियम रू0 10000/– से बढ़ाकर रू0 20000/– किया जाना, उचित प्रतीत नही होता है। ऑनरेरियम पर कार्यरत चिकित्सक के ऑनरेरियम में जो वृद्धि का प्रस्ताव है, वह सिर्फ चिकित्सकों के लिये क्यों ? नगर निगम में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वितन बढ़ोत्तरी हेतु कोई प्रस्ताव क्यों नही प्रस्तुत किया गया ? आउटसोर्सिंग कर्मियों को वेतन रू0 9000/– स्वीकृत है, किन्तु रू0 7500/– भुगतान किया जाता है, जबकि ई0एस0आई0 लगभग रू0 300–400 कटता है, शेष रू0 1000/– कहाँ जाता है ?

श्री राघवेन्द्र मिश्रा ने कहा कि रू0 20000/– चिकित्सकों का ऑनरेरियम बढ़ाये जाने पर चर्चा की जा रही है, जबकि ऑउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई चर्चा नही की जा रही है। क्या आप यहा अवगत करायेंगे कि नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर कितने कर्मचारी कार्यरत है ? नगर निगम में सबसे अधिक कर्मचारी आउटसोर्सिंग के है, जो नगर निगम का लगभग 70 प्रतिशत कार्य करते है। स्थायी कर्मचारियों के लिये प्रत्येक 10 वर्ष में वेतनमान तथा समय–समय पर मँहगाई भत्ते, वार्षिक वेतनवृद्धि का प्राविधान है। इसी प्रकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी काम के बराबर दाम दिया जाये। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है। भारत सरकार द्वारा अनस्किल्ड/सेमीस्किल्ड/हाईस्किल्ड तीन श्रेणीय में कर्मचारियों को विभक्त करते हुये वेतन निर्धारण किया जाता है तथा कर्मचारियों को ई0पी0एफ0 आदि की कटौती का चालान दिखाने के उपरान्त ही ठेकेदार को भुगतान किया जाता है। यह भी अवगत करायें कि नगर निगम के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन निर्धारण कैसे किया जाता है ? और कितना भुगतान किया जाता है ? नगर निगम के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में भय व्याप्त है तथा क्योंकि उनका वेतन भी समय से नही मिलता है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ई0एस0आई0 फण्ड का लाभ नही मिल रहा है।

श्री गिरीश चन्द्रा ने कहा कि पार्कों में हम सब प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ लेने जाते है, परन्तु आउटसोर्सिंग पर कार्यरत मालियों का वेतन बहुत कम है। मालियों को रू0 194/– प्रतिदिन दिया जा रहा है, जबकि भवन निर्माण में लगे श्रमिकों को रू0 350/– प्रतिदिन मिलता है, जो मालियों के सामाजिक स्तर के प्रतिकूल है। नगर निगम के पार्कों में संख्या के सापेक्ष अपेक्षित संख्या में माली नही है।

श्री स्वर्ण सिंह, सहायक नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नगर निगम की विभिन्न सेवाओं में विभिन्न श्रेणीयों के अन्तर्गत सफाई कर्मचारी, लिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, शिक्षक इत्यादि मिलाकर लगभग 2500 आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। सभी को कैटेगरी के हिसाब से अलग–अलग वेतन दिया जाता है। सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा ई0एस0आई0 फण्ड कटौती का चालान प्रस्तुत करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाता है।

श्री राघवेन्द्र मिश्रा ने कहा कि नगर निगम के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में बहुत सी भ्रांतियाँ है। चूँकि यह भी हमारे बीच के भाई है, इनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा एवं उपचार की आवश्यकता है। अतः इसको ध्यान में रखते हुये इनके वेतन निर्धारण पर कार्यवाही की जानी चाहिये।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि श्रम विभाग न्यूनतम वेतन भुगतान हेतु श्रेणीवार अलग–अलग निर्देश देता है। यदि मा0 कार्यकारिणी समिति या सदन से कोई प्रस्ताव आता है, तो उसके अनुरूप वेतन बढ़ाये जाने हेतु विचार किया जायेगा। इसी प्रकार एक शिक्षक की भी ई0पी0एफ0 न जमा होने की शिकायत आयी थी, जिस पर दिखवाने के उपरान्त पता चला था कि उनका ई0पी0एफ0 जमा करने के उपरान्त ही भुगतान किया गया है। अतः किसी एक कर्मी का स्टेटमेन्ट दिखवा लिया जाये कि उसका ई0पी0एफ0 जमा हुआ है या नही। यदि इसके उपरान्त भी कोई जानकारी चाहते है तो उनका स्टेटमेन्ट उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अध्यक्ष ने कहा कि शहर में पार्कों की संख्या के अनुसार मलियों की संख्या बढ़ाई जाये तथा उन्हें भी अन्य आउटसोर्सिंग कर्मियों की भाँति वेतन दिया जाये।

..... होम्योपैथिक आनरेरी चिकित्सकों का आनेरियम रू0 12000/– (रूपया बारह हजार मात्र) किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री प्रमोद जायसवाल ने कहा कि मैंने पिछले सदन में प्रश्न उठाये थे, उसका जवाब आज तक नही दिया गया है, मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुरूप गड्ढामुक्त शहर क्यों नही हुआ ? मा0 प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र में बनवाये गये शौचालय, आज तक अपूर्ण है, वह कब पूर्ण कराये जायेंगे ?

अध्यक्ष ने मुख्य अभियन्ता को श्री प्रमोद जायसवाल की शिकायत सड़क पैच एवं शौचालयों के निर्माण की जाँच मा0 पार्षदो एवं अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर कार्यवाही की जायें।

श्री राशिद आरफी ने कहा कि कानपुर महानगर के विभिन्न स्थानों पर केस्कों द्वारा रोड कटिंग कराई जा रही है, परन्तु नगर निगम द्वारा लगभग 15 वर्ष रोड कटिंग की दर से धनराशि जमा कराई जा रही है। फुटपाथों में अतिक्रमण कर ट्रान्सफार्मर लगाये जा रहे है, परन्तु हमारी स्ट्रीट लाईटों को लाईनों में नही जोड़ा जा रहा है। भूमिगत डाली जा रही बिजली की लाईनों के केबिल बॉक्सों को भी गलियों एवं फुटपाथों पर अतिक्रमण कर लगाया जा रहा है। नगर निगम इस पर कार्यवाही करते हुये केस्कों से ट्रॉन्सफार्मर व केबिल बॉक्सों का यूजर चार्ज सर्किल रेट के आधार पर वसूलना सुनिश्चित करें। हमारे वार्ड में कूड़ा उठान व सफाई की स्थिति बहुत खराब है, वार्ड में कोई कूड़ा घर न होने के कारण कूड़ा सड़क पर फैला रहता है, इस पर ध्यान दिया जाये। मेरे वार्ड के अन्तर्गत नगर निगम की दलेलपुरवा बारातशाला है, जो 01 जनवरी, 2019 से वर्तमान पार्षद की देखरेख में चल रहा है, जिसका किराया लगभग रूपया एक लाख से अधिक प्राप्त हुआ है, जो पार्षद के पास सुरक्षित है। यदि नगर निगम द्वारा इस बारातशाला को मैरिजहॉल के रूप में बनवा दिया जाये तो इससे नगर निगम को प्रतिवर्ष लगभग रू0 60.00 लाख की आय होगी, इससे नगर निगम की आय बढ़ेगी और उस धनराशि से शहर में विकास कार्य करायें जा सकेंगे।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि मेरे वार्ड में केस्कों के निर्देशन पर प्राइवेट कम्पनी द्वारा 100 प्रतिशत भूमिगत केबिल डाली जा चुकी है। इन प्राइवेट कम्पनियों द्वारा नगर निगम से स्थल की रोड कटिंग हेतु ली गई अनापत्ति/एन0ओ0सी0 के सापेक्ष ज्यादा स्थल पर रोड कटिंग कराई जाती है, जिससे क्षेत्रीय नागरिक परेशान होते है, जबकि नगर निगम को पूरी सड़क बनानी पड़ती है। तीन क्षेत्रों में रोड कटिंग की अनापत्ति नगर निगम द्वारा दी गई, जिसमें केस्कों द्वारा रोड कटिंग मद में रू0 37.00 लाख जमा किया गया था, जबकि सिर्फ मेरे वार्ड में ही लगभग रू0 32.00 लाख के कार्य शेष है। मुझे यह अवगत कराया जाये कि यह धनराशि कहाँ गई ? यहाँ मौजूद अधिकारियों से पूँछा जाये कि किसी पार्षद के वार्ड क्षेत्र की रोड कटिंग का पैसा कहाँ लगाया गया है, क्योंकि अधिकारियों का स्थानान्तरण हो जाने के बाद हम फिर वहीं आकर खड़े जो जाते है। वार्ड में सर्वप्रथम जवाबदेही पार्षद की होती है, सांसद/विधायक की नही। क्षेत्रीय जनता सुबह–सुबह शिकायतें लेकर पार्षदों को घेरती है।

श्री राजीव सेतिया ने कहा कि सी0यू0जी0एल0 कम्पनी द्वारा रू0 80.00 लाख की धनराशि रोड कटिंग मद में नगर निगम में जमा की गई, किन्तु तद्नुसार सड़क पुर्ननिर्माण कार्य नही हुआ, जबकि मा0 कार्यकारिणी समिति/सदन की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिस वार्ड की रोड कटिंग होगी, उसकी धनराशि उसी वार्ड में लगाई जायेगी। किन्तु अधिकारियों द्वारा इसका पालन नही किया जा रहा है। नगर निगम में पैचवर्क के नाम पर मैटेरियल खरीदा जाता है, किन्तु पैचवर्क कहाँ किया जाता है, इसकी जानकारी क्षेत्रीय पार्षद को नही दी जाती है। जिससे नगर निगम में आर्थिक नुकसान हो रहा है। विगत दो वर्षो में कार्य की गुणवत्ता खराब होने पर किसी भी कम्पनी की बैंक गारण्टी जब्त नही की गई है।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि केस्को द्वारा रोड कटिंग का कार्य प्राइवेट कम्पनी के0ई0आई0 एवं एल0 एण्ड टी0 के माध्यम से कराया जा रहा है। कम्पनियों द्वारा रोड कटिंग की धनराशि पूरी नही जमा की जा रही है। क्षेत्र में रोड कटिंग कुछ होती है और पैसा कुछ जमा किया जाता है। पूर्व में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत दो रेलवे लाईन में क्रॉस दिया गया था, जिसका रेलवे द्वारा एक क्रॉस का रू0 17.00 लाख तथा दूसरे क्रॉस का रू0 14.00 लाख लिया गया था। इसी प्रकार हम केस्कों से भी यूजर जार्च लें, क्योंकि केस्कों द्वारा भी रोड पर ट्रॉन्सफार्मर व केबिल बॉक्स लगाये जा रहे है। केस्को से ट्रॉन्सफार्मरवाइज शुल्क जमा कराया जाना चाहिये। 04 वार्डो का रू0 37.00 लाख केस्कों द्वारा जमा कराया गया, जिसमें रोड कटिंग का पैसा पुरानी दर से लिया जा रहा है। रोड कटिंग से सड़कें व गलीपिट ध्वस्त हो जाती है, अतः फैकल्टी चार्ज के नाम पर एक साथ धन जमा कराया जाये। इनके द्वारा स्थल के पिट के हिसाब से पैसे जमा किये जाते है, जबकि हमको पूरी सड़क का निर्माण कराना पड़ता है। केस्कों की आये दिन बिजली दरें बढ़ती जा रही है। अतः नगर निगम को भी इस पर ध्यान देकर केस्कों से वसूली करे।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि पूरे महानगर में मनमाने ढंग से रोड कटिंग की जा रही है, जिससे सीवर/पानी की लाईने एवं गलीपिट टूट रही है, जनता परेशान होती है। मा0 अध्यक्ष महोदय आपने प्रत्येक वार्ड में गलीपिट के लिये रू0 01.00 लाख की धनराशि चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत दी है, परन्तु कोई भी अवर अभियन्ता गलीपिट का कार्य करने को तैयार नही है। मेरे वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत 15 स्थानों पर पाइप लाइन टूट गई है, लगभग एक माह व्यतीत होने के बाद भी कार्य नही हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत दीवारों की पेन्टिंग का कार्य कराया जाता है, जो कुछ दिन बाद खराब हो जाता है। अतः दीवारों पर पेन्टिंग के स्थान पर चेम्बरों के ढक्कन व गलीपिट का निर्माण कराया जाये, तो क्षेत्रीय जनता को इसका लाभ मिलेगा।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अभी सदस्यों ने सदन के सामने जो बात रखी उसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि रोड कटिंग के मद में जमा धनराशि का विवरण अभियन्त्रण विभाग से क्षेत्रवार माँगा गया है। संज्ञान में आया है कि रोड कटिंग की धनराशि वार्डवाइज न जमा होकर सामूहिक जमा हो गई थी, जिस कारण यह स्थिति बनी। यदि किसी वार्ड में रोड कटिंग की गई है और उसकी धनराशि नगर निगम में जमा है परन्तु प्रश्नगत क्षेत्र में निर्माण कार्य किन्हीं कारणों से नही हो पाया है तो उसका निर्माण नगर निगम निधि से करा दिया जायेगा।

श्री अर्पित यादव ने कहा कि महाप्रबन्धक 'जलकल' को मैने पत्र लिखा था कि वार्ड–45 के ट्यूबवेल की मोटर 15 बार खराब हो चुकी है तथा ट्यूबवेल लगभग समाप्त हो गया है, यदि इसको समय से रिबोर करा दिया जाये तो क्षेत्र में पानी की समस्या दूर हो जायेगी, क्योंकि इस ट्यूबवेल में पूर्व में ही 06–07 पाइप बढ़ाये जा चुके है इसलिये अब पाईप बढ़ाया जाना सम्भव नही है। इस ट्यूबवेल के खराब हो जाने के कारण आस–पास क्षेत्र की लगभग 50000 जनता पानी के बिना प्रभावित है। जल निगम से जलापूर्ति हेतु कहने पर बताया जाता है, कि शहर का किनारा होने के कारण पानी नही पहुँच सकता है। अतः इस पर ध्यान दिया जाये। मेरे वार्ड में दो सम्पवेल भी है, उनकी भी मोटरें खराब थी, जब मैंने जलकल के कार्यालय में ताला डाला, तब जाकर मोटरें ठीक हुई। जलकल विभाग ने अपनी कार्य प्रणाली की क्या स्थिति बना रखी है, इससे स्वतः स्पष्ट होता है। कृपया महाप्रबन्धक 'जलकल' इस सम्बन्ध में अवगत करायें।

महाप्रबन्धक 'जलकल' ने अवगत कराया कि उक्त ट्यूबवेल की कई बार रिपेयरिंग भी हो चुकी है, परन्तु बार–बार खराब हो जाता है, पिछले वित्तीय वर्ष में चौदहवें वित्त आयोग में प्रश्नगत ट्यूबवेल रिबोर स्वीकृत नही हुआ था, जो 15वें वित्त आयोग से कराये जाने वाले कार्य में सम्मिलित कर लिया गया है, जिससे नई मोटर क्रय कराकर डाल दी जायेगी।

अध्यक्ष ने महाप्रबन्धक 'जलकल' को शीघ्र रीबोर कराये जाने हेतु 14 वें वित्त आयोग की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि मेरे वार्ड स्थित शिव मन्दिर का शिवलिंग सीवर भराव के कारण डूब गया है, मैं सावन के महीने से महाप्रबन्धक जलकल को सीवर सफाई कराने हेतु कह रहा हूँ, किन्तु सफाई नही कराई जा रही। इससे स्पष्ट होता है कि महाप्रबन्धक जी कानपुर नगर का सांप्रदायिक महौल बिगाड़ना चाहते है। चूँकि जलकल विभाग के कार्यो में अत्यधिक अनियमिततायें है अतः इनके कार्यो की जाँच कराई जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि जब रा0पा0 पार्षद दल के नेता के कार्यो की यह स्थिति है, तो आम आदमी की शिकायतों का क्या होता होगा।

श्री मनोज पाण्डेय ने कहा कि इसीप्रकार मेरे वार्ड क्षेत्र स्थित मकबरे की सीवर सफाई जलकल विभाग द्वारा नही कराई जा रही है, जिसके कारण क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है। वहाँ की सफाई सुपर सकर मशीन से कराई जाये।

महाप्रबन्धक 'जलकल' ने अवगत कराया कि प्रश्नगत स्थल पर जेटिंग मशीन से सफाई नही हो पा रही है, वहाँ पर सुपर सकर मशीन से सीवर सफाई कराई जायेगी।

अध्यक्ष ने प्रश्नगत स्थलों की सफाई सुपर सकर मशीन से कराने हेतु महाप्रबन्धक 'जलकल' को निर्देशित किया।

श्री मदन बाबू ने कहा कि हमारे वार्ड में अटल घाट है। वहाँ पर नगर निगम द्वारा आवंटित वाहन स्टैण्ड में संचालक द्वारा मनमाना पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है तथा आगंतुकों से बदसलूकी की जाती है, जबकि नगर निगम द्वारा मन्दिर अथवा धार्मिक स्थानों पर कोई पार्किंग शुल्क नही लिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब अटल घाट आये थे, तब वहाँ पर शौचालय हेतु 20- 25 गड्ढे एक संस्था द्वारा बनाये गये थे, परन्तु आज तक शौचालय नही बनाये गये है। गंगा बैराज पर प्रवेश व निकास द्वार बनवाया जाये। गंगा में गिरने वाले नालों के गंदे पानी को रोकने के लिये पाइप डालकर गंदा पानी निकालने के लिये मोटरें लगाई गई, उन मोटरों के बन्द होने के कारण गंदा पानी बैक होकर क्षेत्र में भर रहा है, जिससे बीमारियाँ फैल रही है, इस पर ध्यान दिया जाये।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को एकल शौचालय बनवाने हेतु सम्बन्धित संस्था को आदेशित करने के निर्देश दिये साथ ही अन्यथा की स्थिति में संस्था को कालीसूची में डालते हुये अन्य संस्था के माध्यम से शौचालय बनवाने एवंज ल निकासी हेतु मोटरें संचालित करने को भी कहा।

श्री जितेन्द्र गाँधी ने कहा कि मैंने पूर्व की बैठक में अवगत कराया था कि मेरे वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत रवेल पैलेस से धनुकाना तक सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त है, इस मार्ग से रामनवमी शोभायात्रा निकलती है। यात्रा में लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित होते है, इसे शीघ्र बनवाया जाये। उक्त सड़क का निर्माण कई बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक नही कराया गया है, इसी के साथ शन्नेश्वर मन्दिर से पनकी कल्यानपुर रोड जो कि आठ वार्डो की एक मुख्य सड़क है, वह भी अत्यधिक क्षतिग्रस्त अवस्था में है, इसका भी शीघ्र निर्माण कराया जाये। पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार वार्डों में क्रीयाघर बनवाया जाये।

श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' ने कहा कि जब हम निर्वाचित होकर आये थे, तो अध्यक्ष महोदय आपने कहा था कि प्रत्येक वार्ड में एक–एक मलिन बस्ती में डूडा द्वारा कार्य कराया जायेगा। किन्तु आज तक डूडा द्वारा कोई कार्य नही कराया गया है, जबकि डूडा में करोड़ों का बजट आता है, किन्तु इनके द्वारा आज तक किसी भी वार्ड की मलिन बस्ती में कोई कार्य नही कराया गया है। हम 110 पार्षद है, किस पार्षद के प्रस्ताव पर डूडा द्वारा क्या कार्य कराया गया, अवगत कराया जाये ?

श्री सतीश वर्मा, परियोजना अधिकारी, डूडा ने अवगत कराथा कि डूडा का कोई बजट नही होता है। विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर शासन में भेजे जाते है, उनमें से जो प्रस्ताव शासन से स्वीकृत होकर आते है, उन्हीं पर कार्य कराया जाता है। पूर्व में रू0 15.00 करोड़ के प्रस्ताव भेजे गये थे, जिसमें रू0 07.00 करोड़ की धनराशि के कार्य स्वीकृत हुये है, इसमें श्री महेन्द्र पाण्डेय, पार्षद का भी प्रस्ताव समाहित है।

अध्यक्ष ने सदस्यों को अवगत कराया कि कानपुर महानगर की 06 मलिन बस्तियों में से 04 मलिन बस्तियों की निविदायें आमंत्रित हो चुकी है। सभी मलिन बस्तियों में कार्य कराया जायेगा।

श्रीमती निर्मला मिश्रा ने कहा कि मेरा वार्ड सबसे अविकसित वार्ड है। आज बारिश में सड़कें कीचड़ से भर गई हैं। सड़क निर्माण की पत्रावली बनवाने में 06–07 माह लग जाते है, किन्तु ठेकेदारों को कई स्थनों पर कार्य आवंटित होने के कारण उनके द्वारा कार्य को समय से पूर्ण नही किया जाता है, इसको दिखवाया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि सदन की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आये श्री दिलीप सिंह यादव, जो पदेन सदस्य है, का मैं स्वागत करती हूँ।

श्री सौरभ तिवारी ने कहा कि मेरा वार्ड स्वर्ण जयंती विहार है, जहाँ पर कानपुर विकास प्राधिकरण ने स्वर्ण जयंती विहार योजना के हस्तान्तरण के समय नगर निगम को एक अरब तीन करोड़ पंद्रह लाख तेंतिस हजार रूपया क्षेत्र के विकास कार्य हेतु दिया था, किन्तु आज तक नगर निगम द्वारा कोई भी विकास कार्य नही कराये गये है, इसकी जाँच कराई जाये। यह प्रकरण मैं कई बार पूर्व में सदन की बैठक में उठा चुका हूँ। अध्यक्ष महोदय मेरे वार्ड को अतिक्रमणकर्ताओं ने कबाड़ बना दिया है। खुले में प्लास्टिक जलाई जा रही है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 103 अवैध होर्डिंग्स लगी है। इन अराजक तत्वों से आर्थिक दण्ड वसूला जाये।

अध्यक्ष ने जोनल अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रश्नगत स्थल को दिखवा कर कबाड़ का कार्य कर रहे व्यापारियों से यूजर चार्ज वसूला जाये तथा यूजर चार्ज जमा न किये जाने पर सामान जब्त कर लिया जाये। कानपुर को इन्दौर की तर्ज पर होर्डिंगमुक्त बनाना है।

श्री सुनील कनौजिया कहा कि मेरे वार्ड स्थित ओ–ब्लाक किदवई नगर सब्जीमण्डी कानपुर विकास प्राधिकरण से नगर निगम को हस्तान्तरित होनी है, यहाँ नाले, नालियाँ सिल्ट से भरी है, क्षेत्र में गन्दा पानी भरा है, सडांध फैल रही है, अतः कानपुर विकास प्राधिकरण से क्षेत्र के हस्तान्तरण की शीघ्र कार्यवाही कराई जाये। इसी के साथ यह भी अवगत कराना है कि वार्ड–14 में ही कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जूही थाने के पीछे 26 भूखण्ड विकसित कर नगर निगम को योजना हस्तानान्तरित तो कर दी गई है, किन्तु आज तक वहाँ नगर निगम द्वारा कोई सफाई कर्मी तैनात नही किया गया है, जिसके कारण क्षेत्र में गन्दगी व्याप्त है, बीमारियाँ फैल रही है। अतः जूही थाने के पीछे की योजना में सफाई कर्मी तैनात करने की कार्यवाही की जाये।

अध्यक्ष ने अवगत कराया कि जूही थाने के पीछे स्थित भवन स्वामियों का प्रतिनिधि मण्डल भी सफाई कर्मी की तैनाती हेतु मुझसे मिल चुका है। अतः नगर आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत स्थल पर एक सफाई कर्मी तैनात करना सुनिश्चित करें।

श्रीमती अल्पना जायसवाल ने कहा कि किस वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी तैनात किये गये है, इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाये ?

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि इस समय भीषण सर्दी चल रही है। ऐसे में नगर निगम द्वारा अलाव हेतु गीली लकड़ी स्थलों पर भेजी जा रही है, जिसके द्वारा भी अलाव हेतु गीली लकड़ी आपूर्ति की गई है, उसकी जाँच कराई जानी चाहिये।

श्री जयप्रकाश पाल ने कहा कि पनकी भौंसिंह स्थित नगर निगम कूड़ा प्लान्ट मेरे वार्ड के निकट स्थित है, जिसके कारण वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत नौरैयाखेड़ा में क्रोमियमयुक्त पानी आता है, जलकल विभाग में शिकायत करने पर ध्यान नही दिया जाता है। समस्या का समाधान कराने हेतु मेरे वार्ड में आर0ओ0 प्लान्ट लगवाया जाये।

सुश्री लक्ष्मी कोरी ने कहा कि अवस्थापना निधि के अन्तर्गत सीसामऊ नाले के निर्माण में रूपया 53.00 लाख का कार्य होना था किन्तु कार्य जहाँ होना था, वहाँ नही हुआ। नाले में स्लैब के ऊपर स्लैब डाल दी गई है, सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा कार्य मानक के अनुरूप नही किया गया, इस सम्बन्ध में मैंने पूर्व में कई बार शिकायत की थी, उसकी अनदेखी कर कार्य एक ही बार में कराकर कार्य का भुगतान भी करा दिया गया है, इसकी जाँच कराई जाये। अध्यक्ष महोदय यह भी अवगत कराना है कि सम्बन्धित जोनल अभियन्ता से जब भी मैंने शिकायत की है, तो उनका मेरे प्रति व्यवहार ठीक नही दिखा। वह न तो फोन उठाते है और न ही ठीक ढंग से बात करते है। इस पर श्रीमती नमिता मिश्रा ने भी सहमति व्यक्त करते हुये श्री पुनीत ओझा, जोनल अभियन्ता जोन–4 का पार्षदों से बात करने का तरीका सही नही है।

श्री पुनीत ओझा, जोनल अभियन्ता जोन–4 ने अवगत कराया कि अधिकारी का कोई ठेकेदार नही होता है। अवस्थापना निधि के जिस कार्य की बात पार्षद जी कर रही है, उसमें एक पत्थर को लेकर आक्रोष था।

अध्यक्ष ने जोनल अभियन्ता जोन–4 से कहा कि यदि आपके प्रति हमारे पार्षद इस प्रकार की बात करेंगे तो ठीक नही है। यह हमारे सम्मानित पार्षद है, आप इनका कार्य करे या न करें किन्तु इनका सम्मान तो करना ही होगा। कार्य की गुणवत्ता व मानक पर ध्यान देना होगा, इससे कोई समझौता नही होना चाहिये। इसका विशेष ध्यान रखा जाये। इसी के साथ पदेन सदस्य श्री दिलीप सिंह यादव से अपने विचार व्यक्त करने के लिये कहा।

श्री दिलीप सिंह यादव ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों से कहा कि सदन पीठ पर, जो माननीय महापौर जी बैठी है, वही अध्यक्ष है, उनका सम्मान सर्वोपरि है। आज आप पार्षद है, कल विधायक व सांसद होंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। अध्यक्ष पीठ का सम्मान सर्वोच्च है, मेरा सभी से अनुरोध है कि वह अपनी समस्याओं को पीठ के समक्ष मर्यादापूर्वक प्रस्तुत करें, उसका समाधान अवश्य होगा, मुझे विश्वास है । अध्यक्ष महोदय

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि पूरे शहर में अमृत योजना एवं नमामि गंगे के अन्तर्गत कई कार्य चल रहे है, उसके लिये धन्यवाद। प्रायः देखा जा रहा है कि कार्य जिस ठेकेदार को आवंटित होता है, उसे वह पेटी ठेकेदार के माध्यम से कार्य कराता है, जिससे सड़कों की अनियमित खुदाई की जाती है तथा सही ढंग से उन्हें मोटरेबुल नही किया जाता है, परिणाम स्वरूप जनता परेशान होती है। कोई जॉली कम्पनी है, जिसके द्वारा सड़क की खुदाई तो कर दी गई, परन्तु मरम्मत नही कराई गई, उसके सम्बन्ध में मैंने कई पत्र भी लिखे है। अतः सुझाव है कि जिन कम्पनियों द्वारा कार्य किये जा रहे है, उनसे ही उस सड़क की समय से मरम्मत भी कराई जाये। अन्त में आप सभी पार्षदो से अनुरोध है कि शहर के विकास एवं समाज के कल्याण के लिये सदन में सार्थक चर्चा करे, तो उसका निष्कर्ष भी निकलेगा।

सभापति ने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसी सदन के सदस्य सांसद/विधायक हुये है। मैं भी दस वर्ष पार्षद रही हूँ और वर्तमान में महापौर हूँ। हमारे कुछ सदस्यों को लगता है कि मैं उनके साथ भेद–भाव कर रही हूँ, किन्तु ऐसा कुछ नही है। मेरे लिये सभी पार्षद समान है। अतः सभी पार्षद शान्ति एवं मर्यादित ढंग से अपनी बात कहे साथ ही अधिकारियों को भी सुने। तभी शहर का समग्र विकास हो सकेगा।

श्री महेन्द्र शुक्ला ने कहा कि हमने नगर आयुक्त जी को एक पत्र दिया है, कि जलकल में यदि 04 सुपर सकर मशीन किसी योजना के तहत खरीद ली जाये, तो शहर की सीवर समस्या का निराकरण हो जायेगा। हमारे वार्ड में 30 फुट गहरा नाला है, जिसकी सफाई नही हो पा रही है, लेनिन पार्क के पास हजारों लीटर पानी लीकेज के कारण बह रहा है, लेकिन जल निगम का कोई अधिकारी निरीक्षण करने के लिये नही आया है। चट्टे, जो सीवर भराव का कारण है, अभी तक पूर्ण रूप से शहर से बाहर नही किये गये, प्रभावी अभियान चलाया जाये। प्रेम नगर स्कूल के पास पानी की टंकी से पूरे क्षेत्र में सप्लाई नही हो पा रही है, इसे भी दिखवाया जाये।

श्री राघवेन्द्र मिश्रा ने कहा कि अध्यक्ष महोदय आप द्वारा शहर से चट्टे हटवाये जा रहे है, यह स्वागत योग्य कदम है, इसमें पर्याप्त पुलिस बल प्राप्त करते हुये पार्षदों के सहयोग से शहर के चट्टे हटवाये जाये, हम सभी आपके साथ है।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि जलकल विभाग को किसी योजना की धनराशि स्वीकृत किये जाने से मैं सहमत नही हूँ। क्योंकि जलकल विभाग को पैसा दिया जाना पैसे की बर्बादी है। जलकल विभाग द्वारा कराये गये कार्यो की जाँच कराई जाये।

श्री यशपाल सिंह ने कहा कि चट्टा वालों को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन पूर्व में दी गई है, उसकी जाँच कराते हुये चट्टों को शहर से बाहर कराने की कार्यवाही की जाये।

श्री प्रशान्त शुक्ला ने कहा कि जोन–2 में श्री अखिलेश तिवारी, ई0ई0एस0एल0 का कर्मचारी है, जो अपने को नगर आयुक्त का रिश्तेदार बताता है और वार्ड में कोई कार्य नही करता है। इनको जोन से हटाया गया था, किन्तु अभी भी वहीं कार्य कर रहे है, इसकी जाँच कराई जाये।

श्री नवीन पंडित ने कहा कि पूर्व में लगी एल0ई0डी0 की रोशनी अब कम हो रही है। 02 वर्ष पूर्व ई0ई0एस0एल0 के साथ एग्रीमेन्ट में जिन एल0ई0डी0 लाईटो की रोशनी कम हो गयी है, उनके स्थान पर नयी एल0ई0डी0 लगाने की सहमति है। जिन एल0ई0डी0 की रोशनी कम हो गयी है, उन्हें बदला जाये।

श्री कमल शुक्ल "बेबी" ने कहा कि अध्यक्ष जी आपको हमारे वार्ड से अधिक प्रेम है, जिससे आप एक–दो दिन में मेरे वार्ड के चट्टे हटाने जाती है, कहने का मतलब है कि हम पार्षद भाईयों को आपके कार्यकाल में कुछ नया मिलना चाहिये। मेरे वार्ड में जो चट्टा खुला है, मैं भी उसके विरोध में हूँ। वार्ड के अन्तर्गत स्वरूप नगर में हर कोई बसना चाहता है। नगर निगम की आय बढ़ाने हेतु मेरे द्वारा घण्टाघर, स्वरूप नगर को विकसित करने का प्रस्ताव कई बार दिया गया, किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नगर निगम द्वारा नही की गई।

अध्यक्ष ने कहा कि सावन के महीने में कानपुर में जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई थी, सभी सांसदों/विधायकों ने नगर निगम को दोषी बताया था, जबकि चट्टों के कारण ही सीवर लाईनें चोंक होती है। चट्टों का गोबर व भूसा मिलकर सीवर लाईनों को सीमेन्ट की भाँति जाम कर देता है, जिससे सीवर निकासी बाधित होती है, परिणाम स्वरूप क्षेत्रों में गन्दे पानी का भराव होता है, बीमारियाँ फैलती है। अतः प्रतिबद्धता दिखाते हुये शहर चट्टामुक्त किया जायेगा।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि सभी पार्षदों के कार्य के लिये सचिव कार्यालय है, किन्तु पार्षदों के पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई, इसकी जानकारी नही हो पाती है, जबकि सचिव कार्यालय में 28 कर्मचारियों का स्टॉफ है, किन्तु कार्यालय में 04–05 लोग ही मिलते है, इसको दिखवाया जाये। अध्यक्ष महोदय मैं सदन में सभी पार्षदों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि दिये गये पत्रों का समय से जवाब दिलाया जाये। आदेशों/निर्णयों का अनुपालन नहीं होता है, आधे से ज्यादा पत्र खो जाते है। नगर निगम के जनसूचना विभाग मे मेरी शिकायतें पिछले एक–दो वर्ष से लम्बित है, जिसकी सुनवाई करने वाला कोई नही है, जिसके प्रभारी अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' है। यदि उन्होंने पिछले दो–तीन माह में जनसुनवाई के प्रकरणों हेतु कोई तारीख लगाई गई हो, तो अवगत कराने का कष्ट करें। गृहकर के सम्बन्ध में जो शिकायतें प्राप्त होती है, उनमें पार्षदों के पत्रों के बावजूद भी सुनवाई नही होती है। गृहकर सुधार के प्रार्थना पत्र एक–एक वर्ष पड़े रहते है। वर्ष 2008 में लागू की गई सरलकर योजना का अभी तक नही हुआ है और वर्ष 2016 में पुनः कर बढ़ा दिया गया है। कृपया नगर आयुक्त मार्गदर्शन करें कि हम सभी पार्षद क्या करें।

सुश्री विधि राजपाल ने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत हम सभी अपने–अपने वार्ड को स्वच्छ बनाने में लगे है, किन्तु मेरे वार्ड में हाथ कूड़ा गाड़ियाँ नही है, जिसके कारण कूड़ा उठान नही हो पा रहा है। क्षेत्र में गन्दगी व्याप्त है। कृपया हाथ कूड़ा गाड़ियाँ यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाये।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि पत्रों व पत्रावलियों के रख–रखाव का सिस्टम तैयार किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है, पत्र या पत्रावली जहाँ से जाये, वहीं वापस आये। शिकायतों/प्रस्तावों को श्रेणीबद्ध करते हुये समय से जवाब दिलाने हेतु एक समिति बनायेंगे। कर बढ़ाने की जो बात कही गई है, वह उचित ही है, क्योंकि जब आय बढ़ेगी तभी नगर निगम की व्यवस्था चलेगी। वर्तमान में राजस्व वसूली का लक्ष्य रू0 154 करोड़ से बढ़ाकर रू0 200 करोड़ करना है, जिसे अगले वर्ष रू0 300 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। हमारा उद्देश्य है कि करदाता बढ़े, कर की परिधि में ज्यादा से ज्यादा लोगो को लाने का प्रयास है। आबकारी दुकानों से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ 80 लाख की आय होना पाया गया है। 1000 हाथ कूड़ा गाड़ियों में 130 हाथ कूड़ा गाडियाँ वर्कशॉप में प्राप्त हो गई है, शेष 870 जल्द ही प्राप्त हो जायेंगी। वर्कशॉप में पड़ी 300 हाथ कूड़ा गाड़ियों के रिपेयर का आर्डर दे दिया गया है। शेष बची गाड़ियों की भी मरम्मत कराते हुये उन्हें भी उपयोग में लाया जायेगा।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि कार्यकारिणी समिति की बैठक में मैने कहा था कि शहर में हाथ कूड़ा गाड़ियों की आवश्यकता है, जिस पर नगर आयुक्त द्वारा कहा गया था कि हम डोर–टू–डोर कूड़ा उठान कराने जा रहे है, जिससे कूड़ा गाड़ियों की आवश्यकता नही होगी, जबकि आज हाथ कूड़ा गाड़ियों के पुनः इस्तेमाल की बात कही जा रही है। नगर आयुक्त की तब की बात सही मानी जाये या आज की। प्रत्येक वार्ड में 40–40 सफाई कर्मियों की बात कहीं गई थी, परन्तु तद्नुसार तैनाती नही की गई। जबकि सफाई कर्मी सेवानिवृत्त भी हो रहे है और कुछ की मृत्यु भी हो चकी है।

श्रीमती शाहिबा परवीन ने कहा कि जाजमऊ दक्षिण मे हाथ गाड़ी से कूड़ा उठने में काफी दिक्कते हो रही है। वी0आई0पी0 रोड, के0डी0ए0 रोड में सफाई नहीं हो पाती है।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि तब की बात भी सही थी और आज की बात भी सही है। हाथ कूड़ा गाड़ियों से कूड़ा उठान का कार्य किया जाता है और मौके पर जो व्यवस्था देखी गई, उसमें लगा कि नई व्यवस्था लागू होने में समय लगेगा, तब तक के लिये पुरानी व्यवस्था से ही कार्य कराने का निर्णय लिया गया है।

श्री हाजी सुहेल ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में रू0 300 करोड़ का जो राजस्व वसूली का लक्ष्य बताया जा रहा है, क्या इस लक्ष्य में ओ0टी0एस0 भी सम्मिलित है ? साथ ही इस लक्ष्य में सोसाइटी क्षेत्रों को भी सम्मिलित करेंगे। सोसाइटी क्षेत्र के लोग हमकों टैक्स देना चाहते है

और हम अध्यासी से टैक्स ले भी सकते है, तो किस कारण से टैक्स नही लिया जा रहा है। इसके लिये कौन दोषी है ? मेरा अनुरोध है कि टैक्स के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों का पहले निराकरण कर लिया जाये, उसके उपरान्त ही कोई कार्यवाही की जाये।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मालिक या अध्यासी से नगर निगम अधिनियम में प्राविधानित उपबन्धों/धाराओं के तहत गृहकर की वसूली की जायेगी।

श्री दुर्गा प्रसाद ने कहा कि मेरे क्षेत्र में चार ट्यबवेल और छः टंकियाँ बनी है, सभी बन्द पड़ी है, जिससे क्षेत्र की जनता पानी के लिये परेशान है। राजीव विहार में सीवर भराव हो रहा है, किन्तु कोई कार्यवाही नही कराई जा रही है। अनुरोध है इसकी जाँच कराई जाये।

अधिशाषी अभियन्ता 'जलकल' ने अवगत कराया कि मा0 पार्षद जी द्वारा जिस क्षेत्र की शिकायत की जा रही है, वह क्षेत्र आवास–विकास से नगर निगम को हतान्तरित नही हुआ है।

अपरान्ह 02:00 बजे भोजनावकाश हेतु बैठक की कार्यवाही 30 मिनट के लिये स्थगित की गई।

.....

स्थगत अवधि के पश्चात् अपरान्ह 02:30 बजे बैठक की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष द्वारा सदन पटल पर मा0 सदस्यों द्वारा हस्तगत गये पत्रों को पढ़ने हेतु अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' को निर्देश दिये गये, जिस पर अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' द्वारा पत्रों को पढ़ा गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से पूँछा कि यदि आप सभी सहमत हो तो आपके पत्रों की जाँच कर कार्यवाही करने हेतु नगर आयुक्त को प्रेषित कर दिया जाये। जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की।

प्रस्ताव संख्या –64

दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी की बैठक का प्रस्ताव संख्या–197 नवीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क नियमावली लागू होने तक स्थल किराये के रूप में वसूली हेतु मा0 सदन की बैठक में प्रस्तुत करने के लिये मा0 महापौर महोदया के निर्देशानुक्रम स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है :–

स्थल किराया निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव

कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका सं० 13578/2018 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में वाद सं०–354/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2019 में विज्ञापन कर को जी०एस०टी० के अन्तर्गत समाप्त करते हुए दिनांक 01.07.2017 से विज्ञापन कर को समाप्त करते हुए इस मद में किसी भी प्रकार की वसूली न करने तथा इसके बाद विज्ञापनकर्ताओं द्वारा जमा की गयी धनराशि को वापस किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ज्ञातव्य है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन नियमावली वर्ष–2016 को पहले ही निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान समय में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुपालन में किसी भी प्रकार के विज्ञापन कर की वसूली पर रोक लगायी गयी है, जिसके कारण वर्तमान समय में विज्ञापन कर की वसूली सुनिश्चित नहीं हो सकती है। मा० उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन नियमावली 2016 को निरस्त करने के उपरान्त तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय द्वारा आदेश दिनांक 24.11.2017 में स्वीकृत दरों जो विज्ञापन नियमावली 2016 में अंकित दरों के अनुसार निर्धारित की गयी है, जिसका विवरण पताका–क पर अवलोकनीय है, इन निर्धारित दरों के विरूद्ध यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के द्वारा तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय से मिल कर आपत्ति की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में वार्ता में यह निर्धारित हुआ था कि एसोसिएशन से वार्ता एवं सहमति के आधार पर नवीन विज्ञापन नियमावली के अन्तिम रूप से लागू होने तक आपसी सहमति से दरें निर्धारित कर वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी।

नगर आयुक्त महोदय को सम्बोधित यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के पत्र दिनांक 17.05.2019 व दिनांक 27.07.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा विज्ञापन की नवीन नियमावली लागू होने तक वैकल्पिक दरों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2015–16 में

निर्धारित दरों में 01.07.2017 से 31.03.2018 तक की दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में 50 प्रतिशत वृद्धि करने एवं इसी आधार पर पूर्व विज्ञापनपटों का नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर आयुक्त महोदय को सम्बोधित पत्र दिनांक 17.05.2019 द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित वाद सं०–13578/2018 एवं मा० उच्च न्यायालय में योजित वाद सं०–354/2018 में पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए, आदेश के परिपेक्ष में विज्ञापन व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने हेतु नगर निगम एवं विज्ञापनकर्ताओं दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन के सम्बन्ध में यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ने मिलकर मा० उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुपालन में कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया है। आदेश का क्रियात्मक अर्थ निम्नवत है–

In view of the above after 12.09.2016 on from 01.07.2017 the Nagar Nigam, Kanpur ceased to have any jurisdiction to impose and realize tax on advertisement Accordingly the demand of tax on advertisement from the petitioners after 01.07.2017 is held to be illegal and without jurisdiction.

The notice of demand impugned in the petition to the above extent are quased and the amount, if any of the advertisement tax deposited by the petitioners for the period 01.07.2017 onwards shell be refunded to the petitioners.

The writ petition is allowed and it is held that the Nagar Nigam, Kanpur shall not realize any tax on advertisement after 01-07-2017.

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 06.05.2019 के अनुसार विज्ञापन की वसूली नगर निगम द्वारा न करने एवं इसके पश्चात उक्त मद में यदि विज्ञापनकर्ताओं द्वारा कोई धनराशि जमा की गई है, तो उसे वापस करने हेतु निर्देशित किया गया है। ऐसी स्थिति में विज्ञापन की वसूली किया जाना मा० उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सम्भव नही हो पा रहा है, जबकि जुलाई 2017 से अब तक स्वीकृत विज्ञापनपट का प्रयोग निरन्तर सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता द्वारा किया जा रहा है। नगर आयुक्त महोदय से यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन द्वारा मिल कर यही अनुरोध किया गया था कि नगर निगम कानपुर की सीमान्तर्गत यदि पूर्व विज्ञापन कर के स्थान पर बनारस नगर निगम की भाँति स्थल किराया की दरें तब तक के लिए तय कर ली जायें जब तक कि नई विज्ञापन नियमावली लागू न हो जाए।

YEAR	(2016-17)	
SIZE	MET.	FIT
UNIPOLE	Rate	
SUPER	4,000.00	371.61
A	2,800.00	260.13
B	2,300.00	213.68
C	1,800.00	167.22
D	1,500.00	139.35

2015-16				
FIT	+25%	+50%	+75%	100%
Rate				
125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

HORDING		
SUPER	2,500.00	232.26
A	1,700.00	157.93

125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
100.00	125.00	150.00	175.00	200.00

B	1,400.00	130.06	85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
C	1,200.00	111.48	75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
D	1,000.00	92.90	60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

CANT. L.	Rate		Rate				
SUPER	3,500.00	325.16	125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
A	3,000.00	278.71	100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
B	2,500.00	232.26	85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
C	2,000.00	185.80	75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
D	1,000.00	92.90	60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

POLICE	Rate		Rate				
SUPER	4,500.00	418.06	125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
A	3,500.00	325.16	100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
B	2,500.00	232.26	85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
C	1,500.00	139.35	75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
D	1,000.00	92.90	60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

BUS SHELT.	Rate		Rate				
SUPER	4,500.00	418.06	125.00	156.25	187.50	218.75	250.00

A	3,500.00	325.16	100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
B	2,500.00	232.26	85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
C	1,500.00	139.35	75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
D	1,000.00	92.90	60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

उक्त के क्रम में यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन द्वारा नगर आयुक्त महोदय से उक्त वार्ता के क्रम में लिखित रूप से सहमति पत्र दिनांक–17.05.2019 एवं दिनांक–27.07.2019 जो संलग्न साइड में पताका–ख व ग पर अवलोकनीय है, में वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रचलित दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि एवं वर्ष 2019–20 में 50 प्रतिशत की बढोत्तरी कर अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत स्थल किराया तय करके वैकल्पिक शुल्क देने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में अपर नगर आयुक्त, प्रभारी अधिकारी "विज्ञापन" द्वारा यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन से वित्तीय वर्ष में प्रचलित दरों में 100 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत दरें तय कर ली जाए। ऐसा करने से विज्ञापन की दरें जो अब (स्थल किराया) में लिया जाना है, जो वित्तीय वर्ष 2016–17 की दरों से अधिक हो जाएगी। उपरोक्त यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन को स्वीकार नही है। यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के पत्र दिनांक 27.07.2019 द्वारा विज्ञापन दरों में वृद्धि का जो प्रस्ताव दिया है वह निम्नवत है:–

01. मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुरूप 01.07.2017 के उपरान्त विज्ञापन के मद में किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जा सकता है।
02. चूँकि वर्तमान में विज्ञापन नियमावली निरस्त है एवं मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बिना विधिक प्रावधान के किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जा सकता है और 01.07.2017 के उपरान्त विज्ञापन के मद में ली गई धनराशि वापस करने का भी आदेश है।
03. 01.07.2017 से नवीन विज्ञापन नियमावली लागू होने तक नगर निगम एवं विज्ञापनकर्ताओं के मध्य स्थल किराया वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रचलित दरों के आधार पर दरें तय कर ली जाए, जिससे किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हों।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रचलित दरों में प्रतिशत अनुसार वृद्धि निम्नवत है–

नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक–24.11.2017 में निर्धारित दरें विज्ञापन नियमावली 2016 के अनुसार निर्धारित की गयी थी, जिसके विरूद्ध मा० न्यायालय में वाद दाखिल किया था और मा० न्यायालय द्वारा विज्ञापन नियमावली–2016 को निष्प्रभावी कर दिया गया था, इन दरों पर विज्ञापन कर की समाप्ति उपरान्त स्थल किराया के रूप में उक्त दरों को स्वीकार करने पर सहमत नहीं है। चूँकि 01.07.2017 के पश्चात नगर में स्वीकृत विज्ञापनपटों से स्थल किराया का प्रस्ताव यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन से लिखित रूप से आया है, जिससे मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित वाद सं०–13578/2018 एवं मा० उच्च न्यायालय में योजित वाद सं०–354/2018 के आदेश, जिसका विवरण पूर्व में वर्णित किया गया है की भी अवमानना नही होगी, साथ ही नगर निगम विज्ञापनकर्ताओं 01.07.2017 के बाद विज्ञापन मद में जमा की गई धनराशि वापस करने की आवश्यकता नही पड़ेगी साथ ही 01.07.2017 से नवीन विज्ञापन नियमावली लागू होने तक विज्ञापनकर्ताओं से 01.07.2017 से 31.03.2019 तक पूर्व प्रचलित दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि एवं 01.04.2019 से 50 प्रतिशत वृद्धि नवीन विज्ञापन नियमावली लागू होने तक वसूली करने का मार्ग प्रशस्त होगा साथ ही विज्ञापन एजेन्सियों के नवीनीकरण/पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी, जिससे नगर निगम राजस्व में वृद्धि होने की सम्भावना होगी। यदि विज्ञापन एसोसियेशन के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो यह प्रतिबन्ध रहेगा कि जमा की गयी धनराशि में यदि किसी भी विज्ञापन एजेन्सी का जमा की जाने वाली धनराशि में यदि कोई समायोजन बनेगा तो वह वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 पर लागू नहीं होगा एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष की नवीनीकरण एवं निर्धारित स्थल किराया तत्काल नगर निगम कोष में जमा करना होगा। कृपया नगर निगम वित्तीय हित में नगर में लगे सभी स्वीकृत विज्ञापनपटों से 01.07.2017 से नवीन विज्ञापन नियमावली लागू होने तक उक्त अनुसार स्थल किराया को स्वीकृति एवं अग्रिम आदेशार्थ आख्या प्रेषित है।

उपरोक्त प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

नगर आयुक्त ने कहा कि हम जो बॉयलॉज बना रहे है, उसको 20 श्रेणीयों में बाँटा जा रहा है। वर्तमान में विज्ञापन मद से नगर निगम को कोई आय नही हो रही है। मैं जहाँ भी निकल रहा हूँ वहाँ पर यदि कोई अनधिकृत होर्डिंग दिखती है तो उसकों हटवा कर मैं स्वच्छ भारत मिशन की होर्डिंग्स लगवा रहा हूँ।

सदस्यों ने कहा कि महानगर के अन्तर्गत वैध हार्डिंग्स की अपेक्षा अवैध होर्डिंग्स की संख्या अधिक है। हमारे पास यह जानकारी उपलब्ध नही है कि कौन सी होर्डिंग वैध है और कौन सी अवैध ?

नगर आयुक्त ने प्रभारी अधिकारी विज्ञापन को निर्देशत किया कि एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रत्येक पार्षद को जोन स्थित उनके वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत वैघ होर्डिंग्स की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

श्री स्वर्ण सिंह, प्रभारी अधिकारी विज्ञापन ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 विज्ञापन में कोई आय प्राप्त नहीं हुई है, विज्ञापन एजेन्सियों से स्थल किराये के प्रस्ताव पर सहमति आई है।

अध्यक्ष ने कहा कि विज्ञापन के प्रस्ताव को पिछली बकाया धनराशि की वसूली हेतु स्वीकृत माना जाये साथ ही आश्वस्त करती हूँ कि कानपुर महानगर को होर्डिंग मुक्त किया जायेगा।

नगर आयुक्त ने कहा कि कानपुर नगर को होर्डिंग्स मुक्त करने की जहॉ तक बात है, इसके सापेक्ष कहना है कि 20 तरह के विज्ञापन पट है। सुझाव है कि उसमें एक समिति बना दी जाये, समिति की जो कार्य योजना बनेगी, उसे अपनाया जायेगा। पूर्व में विज्ञापन जो बिना बाईलाज के चलता रहा और बाई लॉज बनने के बाद उसके अनुसार विज्ञापन स्थल किराया वसूली की जा सकेगी। अध्यक्ष ने कहा कि होर्डिंग्स मुक्त करने के बारे में विचार किया जाये, परन्तु उसके पूर्व एक वर्ष तक देख लिया जाये कि इस प्रस्ताव से कितना धन आ रहा है।

हाजी सुहैल ने कहा कि पार्षदो के माध्यम से विज्ञापन दरों पर आपत्ति मांगी गयी थी, जिनमें पार्षदो ने 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2019 तक 40 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक एवं दिनांक 01.04.2019 से 60 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाकर विज्ञापन कर वसूलने का सुझाव दिया गया था।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि पार्षदो के सुझाव के अनुसार 40 प्रतिशत प्रतिवर्ष एवं 60 प्रतिशत प्रतिवर्ष के अनुसार ही विज्ञापन कर वसूला जायेगा।

..... 01.04.2016 से नवीन विज्ञापन नियमावली लागू होने तक विज्ञापनकर्ताओं से 31.03.2019 तक पूर्व प्रचलित दरों में 40 प्रतिशत वृद्धि एवं 01.04.2019 से 60 प्रतिशत वृद्धि के साथ स्थल किराया वसूली करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–65</u>

नगर आयुक्त महोदय कार्यालय पत्रांक 461/3/प दिनांक 10.07.2019 के मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्ताव

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले प्रेक्षागृहों से नगर निगम अधिनियम की धारा–172 की उपधारा(2)(झ) के अधीन विभिन्न प्रेक्षागृहों से प्रति शो रू 20/– कर दर से शो टैक्स विगत कई वर्षो से लिया जा रहा है,और उसमे कोई बढोत्तरी नही की गई है।

मा0सदन की बैठक दिनांक 05.12.2018 के प्रस्ताव संख्या–42 द्वारा शो–टैक्स रू0 20/– के स्थान पर मल्टी प्लेक्स, वातानुकुलित तथा साधारण सिनेमाघरों की दरें कमशः रू0 600/–, रू0 300/– तथा रू0 100/– प्रति शो नियत की गई थी, जिस पर कानपुर सिनेमा एक्जीवीशन फेण्डरेशन, कानपुर के पदाधिकारियों द्वारा मा0 महापौर जी को सम्बोधित पत्र में दरों की वृद्धि पर दआपत्ति प्रस्तुत की

गई। मा0 महापौर महोदय द्वारा कानपुर सिनेमा एक्जीवीशन फेण्डरेशन, कानपुर के सदस्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें विचार–विमर्श उपरान्त मल्टी प्लेक्स, वातानुकुलित एवं साधारण सिनेमाघरों की संशोधित दरें कमशः रू0 100/–,रू0 40/– तथारू0 40/– प्रति शो पर सहमति बनी है।

..... मल्टी प्लेक्स, वातानुकुलित एवं साधारण सिनेमाघरों की संशोधित दरें कमशः रू0 100/–,रू0 40/– तथारू0 40/– प्रति शो की वसूली हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री महेन्द्र शुक्ला 'दद्दा' ने कहा कि मेरे वार्ड में धर्मशाला है, उसका शुल्क 25 हजार कर दिया गया है, गरीब आदमी इतना धन कैसे दे सकता है?

अध्यक्ष ने कहा कि उक्त धर्मशाला का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया है, नगर निगम द्वारा काफी अच्छा बनाया गया है, इसे पी0पी0पी0 मॉडल पर दे दिया जाये, तो काफी धन आयेगा।

प्रस्ताव संख्या –66

दिनांक 04.09.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या–172 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन की बैठक में प्रस्तुत करने के लिये मा0 महापौर महोदया के निर्देशानुकम स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है :–

उद्यान अधीक्षक, पर्यावरण अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत, अपर नगर आयुक्त द्वारा समर्थित एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :– ***मोतीझील स्थित कारगिल पार्क में प्रवेश शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में***

मोतीझील स्थित कारगिल पार्क शहर का महत्वपूर्ण पार्क है। हरियालीयुक्त स्वस्थ पर्यावरण के साथ झील, स्वामी विवेकानन्द जी की प्रतिमा, झूले क्यास्क का लाभ शहर के नागरिकों के साथ–साथ अन्य शहर के आने वाले गणमान्य नागरिक एवं बच्चे भी प्राप्त करते है। पार्क में प्रवेश शुल्क दर 5 रू. प्रति व्यक्ति, 3 रू. प्रति बच्चा (3 वर्ष से 12 वर्ष तक) निर्धारित है। साथ ही साथ मार्निंग/ईवनिंग वाकर्स जो प्रतिदिन कारगिल पार्क के स्वस्थ्य पर्यावरण का लाभ प्राप्त करते है, हेतु 30 रू. प्रतिमाह अथवा 300 रू. प्रति वर्ष पास दर निर्धारित है। उक्त दरे अत्यन्त ही कम है। जबकि मोतीझील स्थित के.डी.ए. के बाल उद्यान पार्क में प्रवेश शुल्क 15 रू. प्रति व्यक्ति है। उक्त के दृष्टिगत मोतीझील स्थित कारगिल पार्क का प्रवेश शुल्क मासिक/वार्षिक पास दर निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

10 (दस) रू. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।

5 (पॉच) रू. प्रति बच्चा (3 वर्ष से 12 वर्ष) प्रतिदिन।

45 (पैंतालिस) रू. प्रति व्यक्ति प्रति माह अथवा 450 (चार सौ पचास) रू. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष।

अतः मोतीझील स्थित कारगिल पार्क में उपरोक्तानुसार प्रस्तावित प्रवेश शुल्क, मासिक/वार्षिक पास दर लागू किये जाने हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.....*स्वीकृत*

प्रस्ताव संख्या –67

दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी की बैठक का प्रस्ताव संख्या–176 को स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन की बैठक में प्रस्तुत करने के लिये मा0 महापौर महोदया के निर्देशानुकम स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है :–

मा0 श्री अरूण पाठक, सदस्य, विधान परिषद, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के अन्तर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कर्यों हेतु रू0 260.00 लाख के कार्यो की सैद्धान्तिक सहमति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित धनराशि रू0 260.00 लाख पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के अन्तर्गत ब्याजमुक्त ऋण के रूप में प्राप्त करने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

..... **तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**

प्रस्ताव संख्या –68

दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी की बैठक का प्रस्ताव संख्या–202 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन की बैठक में प्रस्तुत करने के लिये मा0 महापौर महोदया के निर्देशानुकम स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है :–

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित एवं मा0 महापौर द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ।

माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्ताव निम्नवत है:–

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत पशु पालको द्वारा अपने गौवशों को छुट्टा छोड़ दिये जाने से आम नागरिकों को होने वाली समस्याओं से निजात दिलाये जाने हेतु शासन के निर्देशानुपालन में निराश्रित/बेसहारा पशुओं को पकड़कर 01–कान्हा गोशाला, जाना गॉव, जाजमऊ 02–गौ अभ्यारण्य, पनकी 03–अस्थाई गौ संरक्षण केन्द्र, बकरमण्डी 04–कॉजी हाउस, दर्शनपुरवा 05–कॉजी हाउस, जाजमऊ में निरूद्ध किये जाने का कार्य किया जा रहा है।
नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 541 की उपधारा 21 से 26 व 41 के अन्तर्गत पशुपालकों से एवं उपरोक्त स्थलों में निरूद्ध किये जाने वाले जानवरों के स्वामियों से जुर्माना वसूली के लिये पूर्व में मा0 नगर निगम सदन की सम्पन्न हुयी बैठक दिनांक–01.09.2016 द्वारा दरों में बढोत्तरी की गयी थी। उक्त बढ़ी दरें 01.09.2016 के बाद से प्रभावी हैं, वर्तमान में मंहगाई दरों की वृद्धि के दृष्टिगत निम्नलिखित प्रस्तावित दरें मा0 कार्यकारणी समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत है :–

विवरण	जुर्माने की वर्तमान दरें	जुर्माने की प्रस्तावित दरें

देशी/संकर नरल की गाय, भैंस, घोड़ा एवं खच्चर आदि	रू0 1000.00 प्रति पशु	रू0 5000.00 प्रति पशु
गाय, भैंस, घोड़ा, खच्चर के बच्चे एवं सुअर आदि	रू0 1000.00 प्रति पशु	रू0 2500.00 प्रति पशु
सभी पशुओं/जानवरों की प्रतिदिन की खुराकी	रू0 150.00 प्रति पशु	रू0 150.00 प्रति पशु

•

.....जानवरों के स्वामियों से वसूली जाने वाली उपरोक्तानुसार प्रस्तावित दरों की स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्ररताव संख्या–69

दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी की बैठक का प्रस्ताव संख्या–194 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन की बैठक में विचारार्थ/स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है :–

कार्यालय पत्र संख्या———————— दिनांक———— की अधिनियम की धारा——— के अन्तर्गत सूचनार्थ पढना/स्वीकृति प्रदान करना/स्वीकृति हेतु नगर निगम से अनुशंसा प्रदान करना–

14 वें वित्त आयोग के अनुदान से मोबाइल टॉयलेट(10 सीटर) कय किये गये है। जिनकी आपूर्ति प्राप्त हो चुकी है। जिनका सदुपयोग बाढ राहत शिविर एवं अन्य सार्वजनिक कार्यकमो के आवश्यकतानुसार किया जा रहा है। कय किये गये मोबाइल टवाइलेट की सार्वजनिक/घार्मिक एवं अन्य कार्यकमों में मॉग को दृष्टिगत रखते हुये उक्त के सुचारू रूप से संचालन हेतु किराये का निर्धारण कय किये गये मोबाइल टॉयलेट की सार्वजनिक कार्यकमों/घार्मिक कार्यकमों एवं जन सामान्य से जुडे अन्य कार्यकमो में निकट भविष्य में मॉग आने की सम्भावना है। मोबाइल टॉयलेट की मॉग आने पर ट्रैक्टर के माध्यम से भेजना पडेगा, जिसमें डीजल आदि का व्यय भार नगर निगम पर पडेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि किराये पर लेने वाली संस्था उपकरण का उपयोग उचित प्रकार से करें, जिससे उपकरण को कोई क्षति न पहुचें, इसलिये आवश्यक है कि उपकरण को किराये पर देने से पूर्व किराये पर लेने वाले संस्था/व्यक्ति से रू0 10,000.00(रूपया दस हजार मात्र) जमानति धनराशि के रूप में जमा करा लिया जायें। जिसे उपकरण के यथा स्थिति में वापस प्राप्त होने की दशा में वापस कर

दिया जायेगा। मोबाइल टॉयलेट का उपयोग सुचारू रूप से होता रहें, इसलिये प्रति दिन की दर से किरायें एवं आने जाने में खर्च होने वाले ईधन के व्यय का निम्नानुसार निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव निम्नवत् हैः–

	दूरी	विवरण	दैनिक किराया	ईधन पर आने वाला व्यय	कुल योग
	01 से 05 किमी0 तक	मोबाइल टॉयलेट को भेजे जाने व वापस जाने हेतु	3,000.00	300.00	3,300.00
	05 से 10 किमी तक	मोबाइल टॉयलेट को भेजे जाने व वापस जाने हेतु	3,000.00	600.00	3,600.00
	10 से 15 किमी0 तक	मोबाइल टॉयलेट को भेजे जाने व वापस जाने हेतु	3,000.00	900.00	3,900.00
	15 से 20 किमी0 तक	मोबाइल टॉयलेट को भेजे जाने व वापस जाने हेतु	3,000.00	1,200.00	4,200.00
	20 से 25 किमी0 तक	मोबाइल टॉयलेट को भेजे जाने व वापस जाने हेतु	3,000.00	1,800.00	4,800.00
	जमानति धनराशि		रू0 10,000.00(दस हजार) मात्र		

अतः कृपया उपरोक्तानुसार मोबाइल टॉयलेट के किराये एवं आने जाने में खर्च होने वाले ईधन के व्यय के निर्धारण हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव सादर प्रस्तुत है।

नगर आयुक्त ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी से पूछा कि एक टॉयलेट की कीमत क्या है ? और क्या पूर्व में मोबाइल टॉयलेट सार्वजनिक उपयोग हेतु दिये गये है तथा टॉयलेट को नुकसान भी हुआ है ?

नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने अवगत कराया कि कार्यक्रम समाप्ति के उपरान्त ज्यादातर मोबाइल टॉयलेट्स क्षतिग्रस्त होकर वापस आते है।

नगर आयुक्त ने कहा कि जो मोबाइल टॉयलेट्स ले जाते है, वह आर्थिक रूप से मजबूत है तो यह जमानती धनराशि उचित है। जो भी मोबाइल टॉयलेट्स ले जाये उनसे यह जानकारी कर ली जाये कि कितने व्यक्ति इसका प्रयोग करेंगे।

श्री मो0 अमीम व अन्य सदस्यों ने कहा कि मोबाइल टॉयलेट्स का प्रयोगा ज्यादातर बड़े–बड़े कार्यक्रमों व शादी–समारोह में किया जाता है, जिसमें टूट–फूट की सम्भावनायें अधिक रहती है।

सभापति ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों में उपयोग हेतु रियायत दी जानी चाहिये।

.....मोबाइल ट्वालेट्स उपयोग हेतु उपरोक्तानुसार वर्णित दरों को स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>प्रस्ताव संख्या–70</u>

दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी की बैठक का प्रस्ताव संख्या–195 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन की बैठक में विचारार्थ/स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है :–

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या 36666/2013 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2013 व अवमानना याचिका संख्या 4365/2019 व 4370/2019 मे पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के अनुपालन में नगर निगम की किराये पर उठी सम्पत्तियों के बढ़े हुए किराये के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण से सम्बन्धित है।

प्रस्ताव

विषयः– मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या 36666/2013 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2013 व अवमानना याचिका संख्या 4365/2019 व 4370/2019 में पारित
आदेश दिनांक 19.07.2019 के अनुपालन में नगर निगम की किराये पर उठी सम्पत्तियों का किराया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 समिति को अवगत कराना है कि पूर्व में दिनांक 16.01.2013 को मा0 कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव संख्या 47,83 व 84 द्वारा विभिन्न जोनों में नगर निगम की किराये पर उठी सम्पत्तियों के किराये में वृद्धि विषयक प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किये गये थे एवं मा0 सदन की बैठक दिनांक 16.02.2013 में कमशः प्रस्ताव संख्या 29,36 व 37 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके फलस्वरूप किराये की दरों में वृद्धि करते हुए दिनांक 01.03.2013 को प्रभावी किया गया था। (छायाप्रति संलग्न)

उक्त के कम में विभिन्न आवंटियो द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लगभग 21 रिट याचिकाओं के माध्यम से नगर निगम की किराये की सम्पत्तियों के किराया वृद्धि को चुनौती दी गयी थी, जिसमे मा0 न्यायालय द्वारा मूल रिट याचिका संख्या 36666/2013 के साथ अन्य रिट याचिकाओं को संकलित (CLUB) करके एक निर्णय दिनांक 13.12.2013 को पारित किया गया, जिसका कियात्मक अंश निम्नवत् हैः–

In the totality of the circumstances on record, we dispose of these writ petitions with a direction to the Munciple Commissioner to examine the grievance of the petitioners in the matter of enhancement of the rent and to decide the same by means of a reasoned and speaking order, preferably within a period of two months from the date a certified copy of this order is filled by the petitioners. If required he may place the matter again before the Executive Committee of the Nagar Nigam.

We make it clear that till the decision of the representation by the Nagar Ayukta/Executive Commmittee, the petitioners shall continue to pay the rent as fixed by the Nagar Nigam. Such deposit shall be subject to the order to be passed by the Nagar Ayukta as aforesaid.

We the aforesaid directions, all the writ petitions are disposed of.

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के कम में उक्त कियात्मक अंश को मा0 कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 30.08.2014 में प्रस्ताव संख्या 669 द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त निर्देश के अनुपालन में किरायेदारो द्वारा दिये गये प्रत्यावेदनो के

निस्तारण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त स्वीकृति के क्रम में तत्कालीन नगर आयुक्त के आदेश संख्या 338/3/प दिनांक 22.06.2015 द्वारा अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति एवं समस्त जोनल अधिकारियों को सदस्य नामित कर विभिन्न किरायेदारों द्वारा दी गयी आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए एक समिति का गठन किया गया। आवटियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बढ़ा हुआ किराया न जमा करने के कारण गठित समिति द्वारा दिनांक 25.08.2015 को सर्व सम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि **"मा0 न्यायालय के आदेशानुसार सम्बन्धित किरायेदार नगर निगम द्वारा निर्धारित किराया जमा नहीं करता है तो प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किया जाना उचित नहीं है।"**

मा0 महापौर जी एवं तत्कालीन नगर आयुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम के किराये पर उठी सम्पत्तियों के किराये के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय होने तक उसका किराया पार्ट पेमेन्ट के रूप में जमा कराये जाने हेतु कार्यालय पत्रांक डी/320/सम्पत्ति/15–16 दिनांक 02.02.2016 समस्त जोनल अधिकारियों को निर्गत किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 13.12.2013 में प्रकरण का निस्तारण निर्णय की सत्यापित प्रति प्राप्त होने के दो माह के अन्दर किया जाना था परन्तु पार्ट पेमेन्ट में किराया जमा किये जाने के आदेश के कारण उक्त आदेश का अनुपालन पूर्णतया नही हो पाया है। प्रकरण से सम्बन्धित श्री शमशेर सिंह व 15 अन्य द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 20356/2018 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2018 निम्नवत् है:–

Counsel for the petitioners does not press the writ petition and submits that the petitioners shall deposit the arrears of rent, as per the order dated 4.2.2016 and shall continue to pay the rent as per the said order till the petitioners' grievance in the matter of enhancement of rent, is decided finally by the Municipal Commissioner, as per the order dated 13.12.2013 passed in Civil Misc. Writ Petition No. 36666 of 2013. His statement is recorded and accepted.

Counsel for respondents-authority submits that the Municipal Commissioner shall endeavour to decide the petitioners' representation, as per the aforesaid order. as expeditiously as possible and preferably within a period of three months from the date of receipt of this order. The petitioners are directed to produce a copy of this order along with a copy of the writ petition and annexures before the Municipal Commissioner within 10 days from today.

The petition is, accordingly, disposed of."

इस प्रकार उपरोक्त रिट याचिका संख्या 36666/2013 व रिट याचिका संख्या 20356/2018 व 18638/2018 में पारित आदेश का पालन न होने के कारण अवमानना वाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अवमानना वाद संख्या 4365/2019 व 4370/2019 में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 निम्नवत् है:–

"Counsel for the petitioners does not press the writ petition and submits that the petitioners shall deposit the arrears of the rent, as per the order dated 4.2.2016, till today and shall continue to pay the rent as per the said order till the petitioners' grievance in the matter of enhancement of rent, is decided finally by the Municipal Commissioner, as per the order dated 13.12.2013 passed in Civil Misc. Writ Petition No. 36666 of 2013. His statement is recorded and accepted.

Counsel for respondents-authority submits that the Municipal Commissioner shall endeavour to decide the petitioners' representation, as per the aforesaid order, as expeditiously as possible and preferably within a period of three months from the date of receipt of this order. The petitioners are directed to produce a copy of this order along with a copy of the writ petition and annexures before the Municipal Commissioner within 10 days from today.

The petition is, accordingly, disposed of."

Learned counsel for the applicants submits that a certified copy of the aforesaid order was submitted for compliance before the opposite party but the opposite party has wilfully not complied with the order and, thus, has committed civil contempt liable for punishment under Section 12 of the Contempt of Courts Act, 1971.

Prima facie a case of contempt has been made out. However, considering the facts and circumstances of the case, one more opportunity is afforded to the opposite party to comply with the aforesaid order of the Court within two months from the date of production of a certified copy of this order.

The applicants shall supply a duly stamped registered envelope addressed to the opposite party and another self-addressed stamped envelope to the office within one week from today. The office shall send a copy of this order along with the self-addressed envelope of the applicant with a copy of contempt application to the opposite party within one week thereafter and keep a recorded thereof.

The opposite party shall comply with the directions of the writ court and intimate him of the order through the self-addressed envelop within a week thereafter.

With the aforesaid observations, this application is disposed of at this stage with liberty to the applicants to move a fresh application, if the order is not complied with by the opposite party within the stipulated time as aforementioned.

प्रकरण के निस्तारण हेतु मेरे आदेश दिनांक 05.09.2019 द्वारा नयी समिति गठित की गयी व उपरोक्त उल्लिखित रिट याचिकाओं/अवमाननावाद में पारित आदेशो के क्रम में जोनो में प्राप्त करायी गयी आपत्ति/प्रत्यावेदनो का परीक्षण किया गया, जिसमें याचीगणो द्वारा निम्न आधार पर आपत्तियां की गयी कि शासनादेश दिनांक 01.09.1977 के तहत हर पांच वर्ष में बढे हुए दर से किराया जमा कराये जाने, (2) अधिकतम देय किराये में कमी करने, (3) मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यथोचित आदेश पारित करने, (4) मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने, (5) किराया निर्धारण हेतु शासन को प्रत्यावेदन अन्तरित करने, (6) किराया बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में 1970 एवं 1987 में समझौते के आधार पर किराया निर्धारण करने, (7) विचार कर किराया संसोधन करने, (8) मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उचित किराया निर्धारित किये जाने, (9) सभी दुकानदारो का किराया पूर्व की भांति प्रत्येक पांच वर्ष पर $12^1/_2\%$ बढाकर निर्धारित करने, (10) किराया न्याय संगत न होने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा नगर निगम सम्पत्तियों के किराये वृद्धि विषयक शासनादेश संख्या 3366(2)–जे/11–न0पा0 –4–1ए(4)/77 दिनांक 01 सितम्बर 1977 के बिन्दु 02 को संज्ञान में लेते हुए प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया गया, बिन्दु 02 निम्नवत है:–

"स्थानीय निकायों ने अपनी दुकानों और भवनों आदि की जो सम्पत्तियां किराये पर उठा रखी है, उनके सम्बन्ध मे भी यह तथ्य शासन के संज्ञान में आया है कि उनका किराया और प्रीमियम अत्यन्त कम है और किराये की धनराशि लम्बे समय से पुनरीक्षित नही की गयी है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी सम्पत्तियों का किराया वर्तमान बाजार दर के आधार पर पुनः निर्धारित किया जाये, ताकि स्थानीय निकाय ऐसी सम्पत्तियों का भली–भांति रख रखाव करने के साथ–साथ अपनी आय में भी यथोचित वृद्धि कर सके।"

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटन के साथ निर्धारित किराये की दरों में दिनांक 01 सितम्बर 1977 को जारी शासनादेश कमांक 3366(2)–जे/11–न0पा0–4–1ए(4)/77 के अनुपालन के क्रम में प्रत्येक पॉच वर्ष में किराये में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की जाती रही है जो कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराये से बहुत कम है। वर्ष 2013 में मा0 नगर निगम सदन द्वारा पुर्ननिर्धारण करते हुए वृद्धि की गयी। इस प्रकार शासनादेश सं 406/नौ–9–1997–95 जनरल/96 दिनांक 10 फरवरी 1997 में शासन द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय जिसमे स्थानीय निकायों द्वारा अपनी सम्पतियों (दुकानों)

आदि का किराया बाजार दर पर निर्धारित करने का उल्लेख है। उक्त के कम में जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 1/2 किराया धनराशि में वृद्धि का निर्णय मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा लिया गया, जो समस्त परिस्थितियों के आलोक में उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

तदनुसार शासनादेश संख्या 406/नौ–9–1997–95जनरल/96 दिनांक 10 फरवरी 1997 में बाजार दर के आधार पर आय में वृद्धि हेतु किराया निर्धारण हेतु निर्देशित किया गया था। वर्ष 2013 में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराया दर के 50% की वृद्धि की गयी। उल्लेखनीय है कि इन चार वर्षो में जिलाधिकारी द्वारा घोषित किराया दरों में वृद्धि होने के कारण नगर निगमों द्वारा आय के संसाधन में वृद्धि किया जाना समीचीन हो गया था। ऐसी स्थिति में किराये में की गयी वृद्धि पूर्णतया नियमानुकूल व यथोचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपत्तिकर्ताओं की आपत्तियां शासनादेश संख्या 406/नौ–9–1997–95जनरल/96 दिनांक 10 फरवरी 1997 व नगर निगम की आय में वृद्धि को संज्ञान में लेते हुए बलहीन पायी गयी है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी समिति/सदन में विचारणार्थ/निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा कि मैं कार्यकारिणी के माध्यम से अपने अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ कि कानपुर महानगर के अन्तर्गत हमारी नगर निगम की कितनी दुकान है और उनसे कितना किराया वसूला जा रहा है। पहले सभी सदस्य इस पर चर्चा कर ले।

नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम स्वायत्तशासी संस्था है राजस्व हित में, मैं चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव को अभी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी जाये, यदि भविष्य में इसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना होगा, तो उसे मा0 कार्यकारिणी के समक्ष रख कर स्वीकृत करा लिया जायेगा। यदि इस प्रस्ताव को अभी अनुमति प्रदान नही की जाती है तो दोबारा काफी समय बाद यह प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत हो पायेगा, अतः इसे स्वीकृत प्रदान किया जाना उचित होगा साथ ही आश्वत करता हूँ कि नगर निगम की आय में वृद्धि होने से समय से कर्मचारियों के देयकों का भुगतान तथा क्षेत्रों में समुचित विकास कार्य भी कराये जा सकेंगे।

.....तदनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>प्रस्ताव संख्या –71</u>

दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी की बैठक का प्रस्ताव संख्या–196 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन की बैठक में विचारार्थ/स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है :–

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत कानपुर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्तमान मे 110 वार्डो मे डोर टू डोर कूडा कलेक्शन का कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 से किया जा रहा है। डोर टू डोर यूजर चार्ज की वसूली 110 वार्डो में आवासीय एवं अनावासीय स्थानों/प्रति परिवार/भवन स्वामियो से की जानी है। अवगत कराना है कि पूर्व मे तत्कालीन नगर

नगर आयुक्त ने कहा कि इस सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार कराई जा रही है। अभी हमारे पास यह डेटाबेस नही था कि यदि हमने किसी क्षेत्र में 05 सफाई कर्मियों को कूड़ा कलेक्शन के लिये लगाया है तो यह निश्चित नही हो पाता था कि वह 05 सफाई कर्मचारी पूरे क्षेत्र का कूड़ा ले पायेंगे या नही। अभी हम यह दिखवा रहे है कि वार्ड में कितने घर है, तद्नुसार ही मानव बल लगाये जायेंगे तथा सेवाप्रदाता कम्पनी एवं नगर निगम की सहभागिता भी सुनिश्चित की जायेगी।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि वार्ड के भवनों के हिसाब से सफाई कर्मी लगाये जाये तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का भी पालन किया जाये।

.....**प्रतिमाह प्रश्नगत यूजर चार्ज वसूली की प्रस्तावित दरों को स्वीकृति प्रदान की गयी।**

अध्यक्ष को निम्नवत हस्तगत प्रस्तावों पर विचार किया जाना।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–72

श्री जमाल, नाजिरबाग, बेकनगंज बाजार आवासीय संघ, 98/179, बेकनगंज, कानपुर द्वारा प्रस्तुत एवं माननीय महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करना–

विषय :बेकनगंज में नगर महापालिका की जमीन पर अवैध कब्जों को खाली कराकर पी0पी0पी0 मॉडल पर बाजार विकसित कराये जाने हेतु मा0 में।

बेकनगंज में नगर महापालिका की जगीन पर अवैध रूप से गूदड़ बस्ती है, जिस पर किसी समय बाजार भी लगता था। उक्त जमीन नगर महापालिका की है। यदि नगर महापालिका की जमीन पर अवैध कब्जों को हटाकर पी0पी0पी0 मॉडल पर बाजार विकसित किया जाये, तो वहॉ के निवासियों का जीवन स्तर उच्च होगा, क्षेत्र भी काफी स्वच्छ एवं सुन्दर होगा, साथ ही नगर निगम को काफी राजस्व प्राप्त होगा।

अतएव बेकनगंज में नगर महापालिका की जगीन पर स्थित गूदड़ बस्ती को हटाकर पी0पी0पी0 मॉडल पर बाजार विकसित किये जाने हेतु टेबुल प्रस्ताव मा0 सदन के विचारार्थ /स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.....**नगर आयुक्त को परीक्षण कराते हुये परीक्षण आख्या अध्यक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है।**

आयुक्त महोदय के आदेश सं0 103/प्रोजेक्ट सेल दिनांक 13.07.2011 के अनुसार ए.टू.जेड इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 को निम्नानुसार यूजर चार्ज वसूली के आदेश दिये गये थे। वर्तमान मे वसूली दरों मे निम्नानुसार पुनरीक्षित दरें प्रस्तावित है।

श्रेणी का विवरण	उप विधि के अनुसार प्रचलित दर (रूपया) प्रतिमाह	निर्धरित दरें (रूपया) प्रतिमाह/प्रति परिवार	प्रस्तावित दरें (रूपया) प्रतिमाह/प्रति परिवार
आवासीय बी.पी.एल. गलिन बस्ती, 30 वर्ग मी0 तक प्लाट/15 वर्ग मी0 क्षेत्रफल	30–40 प्रति परिवार प्रतिमाह	10	25
अन्य आवासीय	30–40 प्रति परिवार प्रतिमाह	30	50
आवासीय–एच.आई.जी.ग्रुप/क्षेत्रफल	30–40 प्रति परिवार प्रतिमाह	50	100
आवासीय/हाउसिंग सोसाइटीज	40–50 प्रति परिवार प्रतिमाह	50 प्रति फ्लैट/प्रति परिवार	100
आवासीय –20 वर्ग मी0 तक दुकान	30 रूपया प्रतिमाह संस्था	30	100
अनावासीय –20 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल की दुकान/कार्यालय	रू0 2 प्रति वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्रफल प्रतिमाह प्रति संस्था 03 रू0 प्रति स्क्वायर मीटर	40	100
शैक्षिक संस्थान, प्राइवेट कोचिग संस्थानो , नर्सिंग होम, पेट्रोल पम्प आदि	रू0 2 से 2.50 पैसा प्रति वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्र प्रतिमाह प्रति संस्था	500	600
सरकारी कार्यालय, भवन, शॉपिंग काम्पलेक्श (20 दुकानो से अधिक गेस्ट हाउस, आडिटोरियम, हास्टल, बैक, होटल 1000 वर्गमी0 आच्छादित क्षेत्रफल तक) रेस्टोरेन्ट, ढरा स्टैण्ड, कामर्शियल लान 1000 वर्गमी0 क्षेत्रफल तक	रू0 2 से 3.00 प्रति वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्रफल प्रतिमाह प्रति संस्था	1000	1250
होटल, बैक्वेट हॉल, क्लब, सिनेमा हाल, फैक्टी, अस्पताल, विश्वविधालय, शैक्षिक संस्थान, मेडिकल कालेज, कामर्शियल लॉन 1000 वर्गमी0 से अधिक	रू0 2 से 3.00 प्रति वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्रफल प्रतिमाह प्रति संस्था	2000	2500
1000 वर्गमी0 आच्छादित क्षेत्रफल से अधिक	रू0 2 से 3.00 प्रति वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्रफल प्रतिमाह प्रति संस्था	5000	6000

अतः उपरोक्त आवासीय/अनावासीय यूजन चार्ज की दरें पुनरीक्षित की स्वीकृति किये जाने हेतु मा0 कारकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–73

विषय : कानपुर शहर के विभिन्न पार्को में अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों का संचालन एवं रख–रखाव का अधिकार नगर निगम के अधीन लिये जाने हेतु मा0 सदन हेतु टेबुल प्रस्ताव।

कृपया कानपुर शहर के कॉलोनियों एवं अन्य क्षेत्रों में पार्क बनाये गये थे, ताकि आस–पास के निवासियों को शुद्ध हवा, हरित क्षेत्र, बच्चो को खेलने, वृद्धो को टहलने हेतु स्थान मिल सके साथ ही खुले क्षेत्र में रेन वाटर से जमीन के अन्दर का पानी रिचार्ज हो सके, किन्तु विभिन्न पार्को में अवैध रूप से बिना नगर निगम की स्वीकृति के धार्मिक स्थलों का निर्माण कर दिया गया है। कई धार्मिक स्थलों द्वारा लगातार पार्को में विस्तार किये जा रहे है, जिससे हरित क्षेत्र समाप्त हो रहा है एवं समाप्त होने की आशंका है। जिससे भविष्य में आस–पास के निवासियों को शुद्ध हवा, बच्चो के खेलने के स्थान, रेन वाटर रिचार्ज न होने जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

अतएवं कानपुर शहर के विभिन्न पार्को में अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों के संचालन एवं उसके रख–रखाव का अधिकार नगर निगम के अधीन लिये जाने हेतु टेबुल प्रस्ताव मा0 सदन के विचारार्थ/स्वीकृतार्थ अग्रसारित है।

.....मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–74

विषय :गंगा बैराज स्थित अटल घाट एवं 128 सालो बाद बन्द सीसामऊ नाले को आकर्षक बनाते हुए सेल्फी प्वाइन्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु मा0 सदन के टेबुल प्रस्ताव

कृपया श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के फलस्वरूप नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत कानपुर में विगत 128 वर्षो से अनवरत गंगा में गिर रहे नाले को बन्द किया गया है, साथ ही गंगा बैराज पर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी वाजपेयी जी नाम पर अटल घाट का विकास किया गया है। उक्त बन्द सीसामऊ नाले एवं अटल घाट को सेल्फी प्वाइन्ट के रूप में विकसित किया जाये तो कानपुर में एक नये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है।

अतएव अटल घाट एवं बन्द सीसामऊ नाले को सेल्फी प्वाइन्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु मा0 सदन के विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

अतएव अटल घाट एवं बन्द सीसामऊ नाले को सेल्फी प्वाइन्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु मा0 सदन के विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

.....स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–75

दिनांक 08.11.2019 को मा0 कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न हुई बैठक में मा0 सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न 02 सड़कों को लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–2, कानपुर नगर के पत्र सं0–234 दिनांक 17.09.2019, जिसमें शासन के पत्रांकः–1401सा0/23–1219–03सा0/19 दिनांक 28.08.2019 के द्वारा जोन–3 की निम्न सडकों को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

1. जोन–3 वार्ड–39 के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर में नयापुल से कैनाल रोड तक (100 फिट)।
2. जोन–3 वार्ड–39 के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर में बाकरगंज चौराहा से जूही नहरिया तक (150 फिट)।

तत्क्रम में उपरोक्तानुसार दोनों सडकों को लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–2 कानपुर नगर को हस्तानान्तरित किये जाने हेतु मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव संख्या– 184, जिसमें स्वीकृत करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया है कि ऐसी सड़को को जिनका नगर निगम निर्माण/मरम्मत नहीं करा पा रहा है, प्रस्ताव तैयार कर नगर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। तत्सापेक्ष नगर आयुक्त ने दोनों सड़को को हस्तानान्तरित किये जाने हेतु अनुमोदित कर दिया है।

.....तद्नुसार उपरोक्त दोनों सड़को को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–76

कृपया नगर निगम सीमा के अन्तर्गत नव विकसित कालोनियों की सडकें एवं उसके सम्पर्क मार्ग अत्यधिक जर्जर अवस्था में हैं। प्रायः उस क्षेत्र की जनता द्वारा इनके निर्माण/मरम्मत हेतु प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जाता है। चूँकि यह सडकें निर्माण योग्य है, जिनमें काफी धन व्यय होने का अनुमान है। वर्तमान में नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ न होने के कारण इनका निर्माण/मरम्मत कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः जनहित में निम्न 22 सडकें, जोकि अत्यधिक क्षतिग्रस्त हैं, के निर्माण/मरम्मत हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु निर्णयार्थ/स्वीकृतार्थ मा0 सदन के समक्ष प्रस्तुत है :–

1. पहाडपुर गॉव की आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य।
2. वार्ड–82 कर्रही सब स्टेशन से निहारिका हास्पिटल होते हुये हाईटेन्शन रोड तक मार्ग का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)

3. वार्ड–46 सतवरी गॉव की आन्तरिक गलियों में मार्ग निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
4. वार्ड–46 गोपाल नगर बाईपास कृष्णा धर्म कॉटा से त्रिवेणी शंकर मिश्रा व आस–पास की गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
5. कृष्णा वाटिका लॉन के बगल व पीछे की गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
6. आवास–विकास वार्ड–41 सेक्टर 6ए व 7 से चण्डीपुरवा व मुख्य मार्ग एवं आस–पास की गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
7. वार्ड–68 प्लाट नं0–4 रामकृपाल शर्मा के घर से प्लाट नं0–1153बी जगदीश शर्मा के मकान तक मार्ग का निर्माण कार्य।
8. वार्ड–68 मकान नं0–128/27 प्रेम के घर से युसुफ के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
9. वार्ड–22 लालपुर बस्ती सुभाष दुबे से अश्वनी वाजपेई के घर होते हुये उमाशंकर के मकान व दयालपुर रोड दयालपुरम में रामचन्द्र के घर होते हुये हाईटेंशन रोड तिलम्बी गॉव तथा उदयवीर के घर से पंचवटी मन्दिर का कार्य। (शहरी मार्ग)
10. वार्ड–21 भैयादीन अमीन के घर होते हुये अवधेश शुक्ला के घर से ट्रान्सफार्मर तक मार्ग का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
11. वार्ड–82 रामगोपाल चौराहे से आनन्द साउथ सिटी तक मार्ग की मरम्मत का कार्य।
12. वार्ड–70 पाल गैस गोदाम से ते–सेक्टर प्राइमरी पाठशाला होते हुये नाला रोड हाईटेन्शन रोड तक मार्ग की मरम्मत का कार्य। (शहरी मार्ग)
13. वार्ड–82 जरौली नाला रोड से आर0बी0एस0 स्कूल तक मार्ग का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
14. जरौली फेस–1 में संतोष बाबा मन्दिर के सामने हरि नगर की आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
15. वार्ड–52 रामगोपाल चौराहे से वरूण विहार तक मार्ग की मरम्मत का कार्य।
16. पटेल विहार वार्ड–82 की आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
17. वार्ड–21 बजरंग विहार में विजय मेडिकल स्टोर से विनोद जैन के घर तक खाडेपुर नई बस्ती में रामपैलेस के बगल तक मार्ग का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
18. वार्ड–87 राजेन्द्र नगर, आशा नगर व सरस्वती नगर की आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
19. सजारी गॉव की आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
20. सनिगवॉ मुख्य मार्ग से संदीप नगर में अन्ना चौराहा से कुसुम वाटिका होते हुये एस्सार पेट्रोल पम्प होते हुये दरियाव सिंह के घर से नितिन जनरल स्टोर होते हुये सॉई चाट से रूपा सिंह साहू मन्दिर तक की आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)

21. सनिगवॉ मुख्य मार्ग से तिरंगा चौराहा होते हुये धीरेन्द्र शुक्ला के घर से रतन गुप्ता के घर होते हुये आलोक श्रीवास्तव के घर से चन्द्र प्रकाश पाण्डेय के घर बाबा टेण्ट हाउस होते हुये कबीर शाखा होते हुये मदरलैण्ड स्कूल से राधा माधव मन्दिर मुख्य मार्ग तक आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)
22. वार्ड–21 योगेन्द्र विहार में हनुमंत गैस गोदाम के बगल से सविता सचान के घर होते हुये हंसवाहिनी स्कूल तक मार्ग का निर्माण कार्य। (शहरी मार्ग)

तत्क्रम में उपरोक्तानुसार सडकों को लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–2 कानपुर नगर को हस्तानान्तरित किये जाने हेतु मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार 22 सड़को को निर्माण/मरम्मत कराये जाने के लिये नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदन भी प्रदान किया जा चुका है।

.....तद्नुसार प्रश्नगत उपरोक्तानुसार 22 सड़को को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

श्री सौरभ देव ने कहा कि नगर निगम अधिनियम की धारा 305 के तहत किसी संस्था से दो वर्ष का अनुबन्ध किया जा सकता है, साथ ही कोई भी नीति निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव सदन या कार्यकारिणी की सहमति के बिना लागू नहीं किया जाना चाहिये, जबकि अपर नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की कमेटी द्वारा सदन या कार्यकारिणी की सहमति आवश्यक न मानते हुये कतिपय विज्ञापन एजेन्सी से 25 वर्षो का पी0पी0पी0 मॉडल पर अनुबन्ध किया गया है । इस कृत्य से सदन का अपमान हुआ है, उस पर सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही होगी या नहीं? ऐसे निर्णयों से नगर निगम की छवि धूमिल होती है। अगर यह मामला मा0 न्यायालय मे विचाराधीन है, तो यह मामला मा0 न्यायालय में गया ही क्यों? अधिकारी इस पर बैठ कर बात कर सकते थे। इसमें दाषियों पर सख्त कार्यवाही की जाये। इसी के साथ अध्यक्ष महोदय मै। आपका ध्यान पालिका स्टेडियम के सम्बन्ध में कीड़ा अधिकारी द्वारा आय–व्यय को जो ब्योरा उपलब्ध कराया गया है, उसमें अनियमिततायें है। इनके द्वरा खर्चा रूप्या 63,57,171 दिखाया गया है तथा 53 लाख रूपये घाटा दिखाया गया है। इनके द्वारा कार्यकारिणी की बैठक मे अलग जानकारी दी गयी और सदन में अलग। यदि नगर निगम ने पालिका स्टेडियम में किकेट प्रशिक्षण हेतु एन0एस0आई0कोच को रखा गया है और हम उसको प्रतिमाह रूपये 20,000/– सैलरी भी देते है, तो हम किकेट प्रशिक्ष हेतु अलग से फीस क्या दे? पालिका स्टेडियम में 05 बाबू है, परन्तु बुकिंग से लेकर अन्य समस्त कार्य एक ही व्यक्ति करता है। मैं भी अन्डर–19 का खिलाड़ी रहा हूँ। पालिका स्टेडियम में रू0 350 की बॉल से प्रैक्टिस होती है, वह बॉल मेरे पास पड़ी है। उसकी कम्पनी से जॉच करा ली जाये कि उसका वास्तविक मूल्य क्या है? पालिका स्टेडियम में पदस्थ श्री जफर आलम, एन0एस0आई कोच पर पूर्व से मुकदमें है, जो जमानत पर बाहर है और नगर निगम में राजा बनकर बैठे है। मेरी सदन से मांग है कि जब तक मा0 न्यायालय को निर्णय नहीं आता, तब तक श्री जफर आलम को सदन के माध्यम से कार्यमुक्त किया जाये। इसी के साथ अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' का यहॉ से स्थानान्तरण हो गया है, उन्हें भी सदन से कार्यमुक्त किया जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि इस सम्बन्ध में मामला न्यायालय में विचाधीन है, इस पर सदन को संज्ञान लेना उचित नहीं है।

हाजी सुहैल ने कहा कि किकेट ऐके डमी चलाये जाने के कार्यकारिणी समिति के निर्णय पर कोर्ट चले गये है, किस अधिकारी द्वारा जवाब दाखिल किया गया है? इसकी भी जॉच करायी जाये।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि 25 वर्षो के अनुबन्ध की जॉच करायी जाये तथा पार्षदो की मांग को दखते हुए श्री जफर आलम को उनके पटल से कार्यमुक्त किया जाये।

श्री शिवम दीक्षित ने कहा कि नमामि गंगे के अधिकारी बिना क्षेत्रीय पार्षद को सूचित किये रात्रि में चोरी से जे0सी0बी0 लगाकर खुदाई कर देते और क्षेत्र की दर्दशा कर छोड़ देते है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन के माध्यम से उनको निर्देशित कर दिया जाये कि बिना पार्षद के संज्ञान में लाये क्षेत्र मे खुदाई न की जाये। शक्करपट्टी, नयागंज, रामगंज में खुदाई कर दी गयी है, जल निगम के अधिकारी सुनते नहीं है, फोन पर अपशब्द से बात करते है।

जल निगम के अधिकारी ने अवगत कराया कि मा0 पार्षद जी के क्षेत्र में थोक एवं मुख्य बाजार है। जहॉ दिन में खुदाई करना सम्भव नहीं है, इस कारण से रात्रि में खुदाई करते है।

नगर आयुक्त ने कहा कि हम जल निगम को पत्र लिखकर यह कह रहे है कि किसी भी क्षेत्र में खुदाई करने से पूर्व हमे जानकारी दी जाये, ताकि तद्नुसार मान्नीय पार्षदो को अगवत करा सके।

अध्यक्ष ने कहा परमट मे भी बिना अनुमति के खुदाइ की गयी हैं। सभी पार्षद शिकायत लिख कर दें, कार्यवाही करायी जायेगी, साथ ही जल निगम जहॉ पर भी कोई कार्य प्रारम्भ करें, हमें लिख कर दे, ताकि पार्षदो को अवगत कराया जा सके।

श्री यशपाल सिंह एवं श्रीमती नमिता मिश्रा ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रथम को 11 लाख, द्वितीय को रूपया 7.50 लाख तथा तृतीय को रूपया 05 लाख पुरस्कार पाने वार्ड मे प्राप्त धन से विकास कार्य की बात कही गयी थी, जिसमें हमारे वार्ड सफाई में प्रथम व द्वितीय घोषित किये गये थे, किन्तु अभी तक प्रोत्साहन धनराशि से न तो कोई विकास हुआ और न ही कोई योजना बनी है?

सभापति ने कहा कि अपर नगर आयुक्त ने अवगत कराया है कि इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन धनराशि हेतु शासन को पत्र लिखकर भेजा गया था, किन्तु अभी तक शासन से धनराशि प्राप्त न हो पाने के कारण कार्य नहीं कराये जा सके। शासन से धनराशि प्राप्त होने पर कार्य कराये जायेंगे।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कृत वार्डो में नगर निगम निधि से विकास कार्य कराया जायेगा, शासन से प्राप्त होने पर नगर निगम निधि मे समायोजित कर लिया जायेगा।

श्री यशपाल सिंह ने कहा कि मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत अतिक्रमणकारियों द्वारा बुढ़िया घाट की सीढ़ियों पर मिट्टी भर कर पाट दिया गया है तथा घाट ही खत्म कर दिया गया है। अतिक्रमणकारियों द्वारा पूरी सीवर लाईन की गन्दगी सीधे गंगा में बहाई जा रही है। कौशिक पार्क के अन्दर वर्ष 2007 में टंकी बनायी गयी है, किन्तु जल निगम एवं जलकल के बीच विवाद से पानी की सप्लाई आज तक नहीं हो पाई है। कृपया क्षेत्र में पानी की सप्लाई शीघ्र प्रारम्भ कराई जाये।

श्री मनोज राठौर ने कह कि वार्ड –39 में जूही नहरिया से कैनाल रोड में पिछले 06 माह से भ्रष्टाचार का फव्वारा फूटा हुआ है, अभी तक ठीक नहीं किया गया हैं। टेंस्टिग के दौरान 07 लीकेज को ठीक कर बनाया गया तो 20 लीकेज हो गये। क्षेत्र की लगभग 80 हजार जनता पानी के लिये परेशान है, किन्तु जल निगम की लाईने अभी तक चालू नहीं है। जिससे क्षेत्रीय जनता परेशान है। इसे शीघ्र प्रारम्भ कराया जाये।

श्रीमती रीता पासवान ने कहा कि मेरे वार्ड–05 में लाईटें जलती है, तो जलती रहती है और बन्द है तो बन्द है। जब इस सम्बन्ध में मार्ग प्रकाश के मुख्य अभियन्ता से शिकायत की जाती है, तो इनके द्वारा अभद्रता से बात की जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है।

श्री अर्पित यादव एवं मो0 आमिर ने कहा कि मार्ग प्रकाश विभाग में अनेको अनियमिततायें की जा रही है, लाईटे नहीं मिल रही है। इस सम्बन्ध मे प्रभारी मुख्य अभियन्ता (मार्ग प्रकाश) से शिकायत करने पर उनके द्वारा कोई उचित उत्तर नहीं दिया जाता है।

प्रभारी अधिकारी (मार्ग प्रकाश) ने आश्वस्त किया कि पार्षदो की जो भी लाईट की मांग होगी, उसे पूरा किया जायेगा।

अध्यक्ष ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि पार्षदों का काम हो या न हो, किन्तु सभी अधिकारी पार्षदों से सम्मानजनक ढंग से बात करें, साथ ही अवगत कराया कि बगाही में सीवर भराव की काफी समस्या है, जनता परेशान है, क्षेत्र की पार्षद मुझसे मिली थी । कल अपराह्न 01:00 बजे मै सन्दर्भित स्थल पर जाऊँगी, अधिकारी मौजूद रहे। जिन पार्षदों के यहॉ सफाई कर्मियों की संख्या कम है, वे अवगत करायें, तद्नुकम में निम्नवत सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया :–

वार्ड सं0	सफाई कर्मियों की सं0	वार्ड सं0	सफाई कर्मियों की सं0	वार्ड सं0	सफाई कर्मियों की सं0
109	34	84	39	83	38
45	37	54	34	87	39
27	37	88	37	55	35
25	32	36	15	09	39
23	28	67	36	90	39

25	38				

श्री संजय यादव ने कहा कि महाबलीपुरम कानपुर नगर निगम द्वारा विकसित किया गया है, किन्तु वहॉ पर सुविधाओं का अभाव है, जिससे जनता परेशान है, जॉच कराकर विकास कार्य कराया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि पार्षदो के टैक्स के सम्बन्ध में शिकायतों को दूर करें, किस आधार पर कर निर्धारण किया जा रहा है, जब मकान का क्षेत्रफल नहीं बढ़ रहा है, तो किस आधार पर टैक्स कई गुना बढ़ रहा है। शीत ऋतु चल रही है, अलाव जलाने हेतु गीली लकड़ी किसके माध्यम से ली गयी, गीली लकड़ी जलाने के सम्बन्ध में विभिन्न समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया था। मैने जोनल अभियन्ताओं को मीटिंग के लिये बुलाया था, जिसमें सिर्फ 02 जोनल अभियन्ता ही उपस्थित हुये, बाकी जो–1 के जोनल अभियन्ता अस्वस्थता के कारण, अन्य 03 अभियन्ता विभिन्न कारणों से बाहर थे, अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि अधिकारी जब भी छुट्टी पर जाते है, तो वह नगर आयुक्त की जानकारी में तो देते ही है, उसे मेरे संज्ञान में भी लाया जाये। पिछली कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया था कि पार्किंग स्थल पर पार्किंग से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं को अंकित करते हुये बोर्ड लगवाया जाये। सदन में उपस्थित जोनल अधिकारी यह बताये कि उनके जोनों मे इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी।

जोनल अधिकारी ने अवगत कराया कि हमारे द्वारा कई स्थानों पर बोर्ड तो लगवाये गये, किन्तु सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा उन्हें तुड़वा दिया गया ।

अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि यदि किसी ठेकेदार द्वारा नगर निगम का लगवाया गया बोर्ड तोड़ा जाता है, तो सम्बन्धित ठेकेदार को चिन्हित करते हुये उसके विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाये। यदि कोई ठेकेदार नगर निगम द्वारा निर्धारित दरों से अधिक पार्किंग शुल्क वसूली करता है, तो उसका ठेका निरस्त किया जाये। चट्टे के अभियान में मैं अभी नहीं जा पा रही हूँ, सर्दी के कारण मै एक सप्ताह उपरान्त अभियान चलाऊँगी। चट्टा महानगर के लिये नासूर है, उसे अवश्य हटवाया जायेगा।

नगर आयुक्त ने बताया कि 600 कूड़ा गाड़ियों की और खरीद होनी है 01–01 वार्ड में 05 से 06 गाड़ियॉ उपलब्ध हो जायेंगी, जिससे कूड़ा उठान हो सकेगा।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि मुख्य अभियान्ता द्वारा सदन के सुन्दरीकरण, माईक सिस्टम को ठीक कराने में लगभग रूपया 57 लाख का व्यय नगर निगम द्वारा किया गया है, फिर भी सदन का साउन्ड सिस्टम कार्य नहीं कर रहा है, इसकी जॉच कराते हुये अगले सदउन से पूर्व साउन्ड सिस्टम ठीक कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाये।

मो0 अमीम ने कहा कि अभियन्त्रण विभाग के डम्पों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जाये, जिससे आकस्मिक कार्यो में पैच, मरम्मत कार्यो को तत्काल कराया जा सके।

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि बरसात ज्यादा होने के कारण संगम लाल तिराहे से काहू कोठी होते हुये नयागंज तक सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गयी है, उक्त मार्ग से रामनवमी, गंगामेला का ठेला व अन्य कई शोभायात्रायें निकलती है, सड़क खराब होने के कारण कभी–कभी बड़ी असहज स्थितियॉ उत्पन्न हो जाती है। मा0 अध्यक्ष महोदय सन्दर्भित सड़क का निर्माण कराया जाने हेतं आप द्वारा निर्देशित किया गया था, किन्तु सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा आज तक पत्रावली तैयार कर उच्च अधिकारियों तक प्रेषित नहीं की गयी है, यदि जो अवर अभियन्ता कार्य नहीं करना चाहते है, उनको कार्यमुक्त किया जाये।

अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि सम्बन्धित यात्रा मार्ग की पत्रावली तैयार कर तत्काल सड़क बनायी जाये।

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से पूर्व पार्षद ओम प्रकाश वाल्मीकी के निधन पर दो मिनट का मौन रखने हेतु कहा, जिस पर सदन सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शान्ति हेतु प्रार्थना की गयी।

अध्यक्ष ने सदन सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों से आज दिनांक 08.01.2020 दिन बुधवार को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हु अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

.....सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक 08.01.2020 दिन बुधवार को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

अन्त में राष्ट्रगान के पश्चात् बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

ह0.....

(प्रमिला पाण्डेय)

अध्यक्ष / महापौर